55

वित्त संबंधी स्थायी समिति
(2022-2023)

सत्रहवीं लोक सभा

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अनुदानों की मांगें
(2023-24)

पचपनवाँ प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मार्च, 2023 / फाल्गुन, 1944 (शक)

पचपनवाँ प्रतिवेदन

वित्त संबंधी स्थायी समिति
(2022-2023)

(सत्रहवीं लोक सभा)

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अनुदानों की मांगें
(2023-24)

23 मार्च, 2023 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया

23 मार्च, 2023 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मार्च, 2023 / फाल्गुन, 1944 (शक)

विषय सूची

पृष्ठ सं.

समिति की संरचना..... (iii)
प्राक्कथन..... (v)

भाग- एक पृष्ठ सं.

एक	प्रस्तावना	1
दो	राजस्व मुख्यालय प्रशासन	2
तीन	वजटीय आवंटन और उपयोगिताएं	4
चार	माल एवं सेवा कर (जीएसटी)	22
पांच	गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कर संग्रह के ब्यौरे	27
छह	तलाशियों, जब्तियों और सर्वेक्षणों की क्षेत्रवार संख्या-	28
सात	लंबित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के मामलों की संख्या	30
आठ	कर दाताओं के लिए शिकायत निवारण तंत्र (प्रत्यक्ष करों के संबंध में)	32
	अनुबंध – क से घ	34-45
भाग- दो		
समिति की टिप्पणियां/सिफारिशें		46-48
अनुबंध I और II		49-53
01.03.2023 और 15.03.2023 को हुई समिति की बैठकों का कार्यवाही सारांश		

वित्त संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की संरचना

श्री जयंत सिन्हा – सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री एस. एस. अहलुवालिया
3. श्री सुखबीर सिंह बादल
4. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
5. डॉ सुभाष रामराव भामरे .
6. श्रीमती सुनीता दुग्गल
7. श्री गौरव गोगोई
8. श्री सुधीर गुप्ता
9. श्री मनोज कोटक
10. श्री पिनाकी मिश्रा
11. श्री हेमंत पाटिल
12. श्री रवि शंकर प्रसाद
13. श्री नामा नागेश्वर राव
14. प्रो .सौगात राय
15. श्री पी .वी .मिधुन रेड्डी
16. श्री गोपाल शेट्टी
17. श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा
18. डॉ) .प्रो (कीरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
19. श्री मनीश तिवारी
20. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी
21. श्री राजेश वर्मा

राज्य सभा

22. डॉ राधा मोहन दास .अग्रवाल
23. श्री राघव चड्ढा
24. श्री पी .चिदम्बरम
25. श्री दामोदर राव दिवाकोंडा
26. श्री रायगा कृष्णैया
27. श्री सुशील कुमार मोदी
28. डॉ .अमर पटनायक
29. डॉ .सी .एम .रमेश
30. श्री जी .वी .एल .नरसिंहा राव
31. रिक्त

सचिवालय

1.	श्री सिद्धार्थ महाजन	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री रामकुमार सूर्यनारायणन	-	निदेशक
3.	श्री कुलमोहन सिंह अरोड़ा	-	अपर निदेशक
4.	श्री प्रीतम प्रभाकर	-	समिति अधिकारी

प्रस्तावना

मैं, वित्त संबंधी समिति का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने राजस्व मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति का यह पचपनवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूँ ।

2. लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन के नियमों के नियम 331ङ के अंतर्गत राजस्व मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (2023-24) 08 फरवरी, 2023 को सभा पटल पर रखी गई थी।

3. समिति ने दिनांक 01 मार्च, 2023 को राजस्व मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया। समिति राजस्व मंत्रालय के प्रतिनिधियों को समिति के समक्ष उपस्थित होने और अनुदानों की मांगों (2023-24) की जांच के संबंध में वांछित सामग्री और सूचना उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद व्यक्त करती है।

4. समिति ने 15 मार्च, 2023 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

5. संदर्भ की सुविधा के लिए, समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है ।

नई दिल्ली
15 मार्च 2023
24 फाल्गुन, 1944(शक)

श्री जयंत सिन्हा
सभापति,
वित्त संबंधी स्थायी समिति

प्रतिवेदन

भाग- एक

पृष्ठभूमि विश्लेषण

एक. प्रस्तावना

1.1 राजस्व विभाग, सचिव(राजस्व) के पूर्ण निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करता है । यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संघीय करों से संबंधित मामलों के संबंध में अपने अधीनस्थ दो कानूनी बोर्डों नामतः केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के माध्यम से नियंत्रण करता है । प्रत्येक बोर्ड के प्रमुख अध्यक्ष होते हैं जो कि भारत सरकार के पदेन विशेष सचिव भी होते हैं । केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा सभी प्रत्यक्ष करों की उगाही करने और संग्रहण का कार्य किया जाता है, जबकि सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर तथा अन्य अप्रत्यक्ष करों की उगाही करने व संग्रहण से संबंधित कार्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आता है । ये दोनों बोर्ड केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अंतर्गत गठित किए गए थे । प्रत्येक बोर्ड में 6 स्वीकृत सदस्य होते हैं।

1.2 राजस्व विभाग निम्नलिखित अधिनियमों को प्रशासित करता है-

i. आयकर अधिनियम, 1961;
ii. काला धन (गुप्त विदेशी आय एवं संपत्ति) कर अधिनियम, 2015;
iii. बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988;
iv. वित्त (सं0 2) अधिनियम, 2004 (प्रतिभूति संव्यवहार कर लगाने से संबंधित) का अध्याय VII;
v. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और संबंधित मामले;
vi. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और संबंधित मामले;
vii. केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956;
viii. सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975;
ix. केन्द्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम, 1985;
x. स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985;
xi. स्वापक औषाधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ का अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988;
xii. तस्कर और विदेशी मुद्रा छल साधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976;
xiii. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899(संघ के अधिकार क्षेत्र तक सीमित);
xiv. विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974;
xv. धन शोधन निवारण अधिनियम (पी एम एल ए), 2002 ; और
xvi. विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 ;

xvii. संघ राज्य क्षेत्र माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017;

xviii. माल एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017;

xix. केंद्रीय माल एवं सेवा कर, 2017;

xx. राज्य माल एवं सेवा कर, 2017;

xxi. एकीकृत माल एवं सेवाकर, 2017

1.3 यह विभाग निम्नलिखित सम्बद्धअधीनस्थ/ कार्यालयों के माध्यम से उपर्युक्त अधिनियमों से संबंधित मामलों की देखभाल करता है:-

i. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अधीन आयुक्तालयनिदेशालय/;

ii. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अधीन आयुक्तालयनिदेशालय/;

iii. केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो;

iv. प्रवर्तन निदेशालय;

v. केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो;

vi. मुख्य कारखाना नियंत्रक;

vii. सफेमा के अंतर्गत अपील अधिकरण;

viii. आयकर समझौता आयोग;

ix. सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समझौता आयोग;

x. सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण;

xi. अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण (आयकर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवा कर के लिए);

xii. सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति; और

xiii. स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 और तस्कर एवं विदेशी मुद्रा छल साधक (सम्पत्ति सम्पहरण) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत नियुक्त सक्षम प्राधिकारी ;

xiv. भारत वित्त आसूचना एकक (एफ आई यू-इंड);

xv. धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत न्याय निर्णयन प्राधिकरण

xvi. पुनरीक्षण आवेदन इकाई

दो. राजस्व मुख्यालय प्रशासन

राजस्व विभाग का मुख्यालय विभाग से सम्बंधित सभी प्रशासनिक कार्यों से संबंधित मामलों, दोनों बोर्ड (के.उ.शु. एवं सी.शु.बोर्ड तथा के.प्र. कर बोर्ड) के बीच समन्वय, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (संघ के क्षेत्राधिकार तक सीमित), केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956, माल एवं सेवा कर (जीएसटी) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम,1985 (एनडीपीएस अधिनियम) तस्कर और विदेशी मुद्रा छल साधक (सम्पत्ति सम्पहरण) अधिनियम, 1976 (सफेम)/(फोम) (अधिनियम), विदेशी मुद्रा प्रबन्ध अधिनियम, 1999

(फेमा) तथा विदेशी मुद्रा सरंक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम,1974 का संरक्षण (काफेपोसा, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रशासन तथा विभाग के निम्नलिखित सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के मामलों से सम्बंधित कार्य देखता है:-

क. प्रवर्तन निदेशालय
ख. केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (सीबीईसी)
ग. सफेम (फोम) क और एनडीपीएसए के अन्तर्गत नियुक्त सक्षम प्राधिकारी
घ. मुख्य कारखाना नियंत्रक
ङ. केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो
च. सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण(सीस्टेट)
छ. सफेम के अंतर्गत अपील अधिकरण
ज. सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समझौता आयोग(सी सी ई एस सी)
झ. आयकर समझौता आयोग (आई टी एस सी)
ञ. आयकर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर के लिए अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण;
ट. सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति
ठ. भारत - वित्त आसूचना एकक (एफ आई यू- इंड)
ड. धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत न्याय निर्णयन प्राधिकरण
ढ. राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान(एनआईपीएफपी)

मुख्यालय द्वारा निम्नलिखित मदों पर भी कार्य किया जाता है:-

निम्नलिखित की नियुक्ति:-

- ✓ केएवं.शु.उ. सीमा शुल्क बोर्ड तथा केकर.प्र. बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्य
- ✓ सीस्टेट के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य
- ✓ सीतथा.शु. के.शु.उ. समझौता आयोग तथा आयकर समझौता आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य
- ✓ सी.शु.उ.के/.शु. तथा आयकर अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य
- ✓ सीईआईबी का महानिदेशक
- ✓ प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक
- ✓ सक्षम प्राधिकारी (सफेम एफओपी) अधिनियम तथा एन डी पी एस अधिनियम
- ✓ निदेशक (वित्त आसूचना एकक-भारत)
- ✓ धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत न्याय निर्णयन प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य

✓ सफेम (फोप) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत गठित अपील अधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्य

✓ सीवीओ, सीबीडीटीईडी/ईसीसीबी/ की नियुक्ति

तीन . बजटीय आबंटन और उपयोगिताएं

3.1 वित्त मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों (2023-24) को 8 फरवरी, 2023 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व विभाग, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर की मांगों के राजस्व खंड और पूंजी खंड का विवरण इस प्रकार है:

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	मांग संख्या और नाम	राजस्व स्वीकृत	पूंजी स्वीकृत	कुल
1.	35 – राजस्व विभाग	189707.53	119.84	189827.37
2.	36 – प्रत्यक्ष कर	8282.27	1610.00	9308.80
3.	37 – अप्रत्यक्ष कर	36305.58	2205.00	41139.17

3.2 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए मांग संख्या 35, 36 और 37 के अंतर्गत बजटीय प्रावधानों का सारांश निम्नानुसार है:

<u>अनुदानों की मांग संख्या - 35 - राजस्व विभाग (मुख्यालय)</u>

राजस्व विभाग की अनुदान संख्या 35 (वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2020-21 में पूर्ववर्ती अनुदान संख्या 31 और वित्त वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या 33) में कोई केंद्रीय क्षेत्र या केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं नहीं हैं।

अनुदान संख्या 35 के अंतर्गत सम्पूर्ण बजट प्रावधान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जीएसटी क्षतिपूर्ति और सचिवालय और इसके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के स्थापना संबंधी व्यय के लिए है। वित्त वर्ष 2020-21 से पिछले तीन वर्षों के लिए वर्षवार आवंटन और उपयोग इस प्रकार है:

(राशि करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	बज़ट अनुमान	संशोधित अनुमान	31 मार्च तक का व्यय	उपयोग किए गए संशोधित अनुमान का %	(+)बचत/ (-)आधिक्य
2020-21	272250.83	272454.75	268877.95	98.69	(+)3576.80
2021-22	201512.64	209805.42	209656.35	99.93	(+) 149.07
2022-23	227552.52	247295.02	169318.09 (दिसम्बर, 2022 तक का व्यय)	68.47	

2023-24 189827.37

स्पष्टीकरण:

वित्त वर्ष 2020-21

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए राजस्व विभाग की मांग संख्या 31 के अंतर्गत कुल बजट प्रावधान 272250.83 करोड़ रुपये था। पूंजीगत व्यय कुल बजट अनुदान का एक छोटा सा हिस्सा है और यह 91.21 करोड़ रुपये है। राजस्व पक्ष पर,अनुदान संख्या 31- राजस्व विभाग के अंतर्गत बजट का प्रमुख घटक कर सुधारों की शुरूआत पर राजस्व हानि के कारण राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रोंको जीएसटी क्षतिपूर्ति प्रदान करना था। वर्ष 2020-21 के लिए 135368.03 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान विधान सभा वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को क्षतिपूर्ति के भुगतान पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए रखा गया था। उपकर की इतनी ही राशि 135368.03 करोड़ रुपये जीएसटी क्षतिपूर्ति कोष में अंतरित करने के लिए भी रखी गई थी। 272454.75 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान की तुलना में व्यय केवल 268877.95 करोड़ रुपये था।

वित्त वर्ष 2021-22

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राजस्व विभाग की मांग संख्या 33 के अंतर्गत कुल बजट प्रावधान 201512.64 करोड़ रुपये था, जिसमें राजस्व विभाग का पूंजीगत व्यय 13.02 करोड़ रुपये औरस्थापना संबंधी व्यय शामिल है। राजस्व पक्ष पर, अनुदान संख्या 33- राजस्व विभाग के अंतर्गत बजट का प्रमुख घटक कर सुधारों पर राजस्व हानि के कारण राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को जीएसटी क्षतिपूर्ति प्रदान करना था। विधानसभा वाले राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को क्षतिपूर्ति के भुगतान पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए वर्ष 2021-22 के लिए 100000 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान रखा गया था. उपकर की इतनी ही राशि 100000 करोड़ रुपये जीएसटी क्षतिपूर्ति कोष में अंतरित करने के लिए भी रखी गई थी। 209805.42 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान की तुलना में व्यय केवल 209656.35 करोड़ रुपये था।

वित्त वर्ष 2022-23

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राजस्व विभाग की मांग संख्या 35 के अंतर्गत कुल बजट प्रावधान 227552.52 करोड़ रुपये है जिसमें राजस्व विभाग के 4.30 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय औरस्थापना संबंधी व्यय शामिल हैं।राजस्व पक्ष पर,अनुदान संख्या 35-राजस्व विभाग के अंतर्गत बजट का प्रमुख घटक, कर सुधारों पर राजस्व हानि के कारण राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को जीएसटी क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए है। विधान सभा वाले राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों को क्षतिपूर्ति के भुगतान पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए वर्ष 2022-23 के लिए 106000.00 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान रखा गया है। यह अनुमान, राज्यों के वित्त वर्ष 2017-18 , 2018-19, 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के उप कर/एजी प्रमाणित राजस्व आंकड़ों के संग्रहण की प्रवृत्ति पर आधारित था। 120000.00 करोड़ रुपये की राशि, क्षतिपूर्ति उपकर भी जीएसटी क्षतिपूर्ति कोष में अंतरित करने के लिए रखा गया था। यह अनुमान, राजस्व संग्रहण की प्रवृत्ति पर आधारित है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रोंको देय जीएसटी क्षतिपूर्ति की अनंतिम रूप से द्विमासिक आधार पर गणना की जाती

है और यह सीएजी द्वारा लेखापरीक्षित राजस्व आंकड़े प्राप्त होने पर समायोजन के अधीन है। 115661.5572 करोड़ रुपये की राशि दिसंबर, 2022 तक जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में विधान मंडल वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकार को 106000 करोड़ रुपये के बजट अनुमान की तुलना में पहले ही जारी की जा चुकी है।

हालांकि, बजट अनुमान 2022-23 के 227552.52 करोड़ रुपये के प्रावधान की तुलना में संशोधित अनुमान स्तर पर, बजट प्रावधान को अब बढ़ाकर 247295.02 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो मुख्य रूप से विधान मंडल वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को जीएसटी क्षतिपूर्ति जारी करने और जीएसटी क्षतिपूर्ति कोष में अंतरण करने के लिए क्रमशः 9662.00 करोड़ रुपये और 10000.00 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि के प्रावधान के कारण है।इसके अलावा पूंजी खंड के अंतर्गत, प्रवर्तन निदेशालय के लिए जमीन और बने-बनाए आवास की खरीद के लिए संशोधित अनुमान 2022-23 में 30.00 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। संशोधित अनुमान के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरक के माध्यम से पूरा किया जाना है। 2022-23 में अनुदान के इसी खंड के अंतर्गत बचत/वसूली/प्राप्तियों के लेखा-जोखा को ध्यान में रखकर टोकन/तकनीकी/नकद पूरक के माध्यम सेपूरक अनुदान मांगों के प्रथमबैच (दिसम्बर, 2022) में 19728.49 करोड़ रुपए (राजस्व खंड के अन्तर्गत 19698.49 करोड़ रुपए एवं पूंजी खंड के अन्तर्गत 30.00 करोड़ रुपए) की राशि उपलब्ध करायी गयी है।

<u>वित्त वर्ष 2023-24</u>

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व विभाग की मांग संख्या 35 के अंतर्गत कुल प्रस्तावित बजट प्रावधान 189827.37 करोड़ रुपये है। पूंजीगत व्यय, कुल बजट अनुदान का एक छोटा सा हिस्सा है और यह 119.84 करोड़ रुपये है।

व्यय विभाग ने दिनांक 16 दिसंबर, 2022 की अधिसूचना के अंतर्गत डीएफपीआर, 1978 के नियम 8 में संशोधन को दिनांक 1 अप्रैल, 2023 से अधिसूचित किया है और राजस्व और पूंजी खंड के अंतर्गत विभिन्न नए वस्तु शीर्ष सम्मिलित किए गए हैं। नवसृजित वस्तु शीर्षों के विवरण/परिभाषा के अनुसार, कुछ नवसृजित वस्तु शीर्षों, जिनके लिए वर्तमान में राजस्व खंड अर्थात वस्तु शीर्ष कार्यालय, व्यय, सूचना प्रौद्योगिकी (ओई) आदि के अंतर्गत व्ययों को दर्ज किया गया है, को पूंजी खंड के अंतर्गत वस्तु शीर्ष जैसे सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण, फर्नीचर और फिक्स्चर इत्यादि में अंतरित कर दिया गया है। जिसके कारण पूंजी खंड के अधीन प्रावधानों को बढ़ाया गया है और बजट अनुमान2022-23 तथा संशोधित अनुमान 2022-23 के क्रमशः 4.30 करोड़ रुपये और 34.30 करोड़ रुपये के प्रावधानों की तुलना में बजट अनुमान 2023-24 में 119.84 करोड़ रुपये रखा गया है।

राजस्व पक्ष में, प्रमुख प्रावधान निम्नानुसार प्रस्तावित हैं: -

अनुदान संख्या 35- राजस्व विभाग, के अंतर्गत बजट का प्रमुख घटक कर सुधारों पर राजस्व हानि के कारण राज्य सरकारों/संघराज्य क्षेत्रोंको जीएसटी क्षतिपूर्ति प्रदान करना है। विधान मंडल वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को क्षतिपूर्ति के भुगतान पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए वर्ष 2023-24 के लिए

43055.00 करोड़ रुपये काबजट प्रावधान रखा गया है। यह अनुमान, अर्थव्यवस्था में वर्तमान अपेक्षित वृद्धि और एसजीएसटी/आईजीएसटी और उपकर संग्रह की प्रवृत्ति पर आधारित है। जीएसटी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 2017 की धारा 10 के अनुसार जीएसटी क्षतिपूर्ति कोष में क्षतिपूर्ति उपकर (145000.00 करोड़ रुपये) की राशि को अंतरित करने का भी प्रस्ताव किया गया है, जो यह व्यवस्था करता है कि जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर की आय को एक गैर-व्यपगत निधि, जिसे जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि के रूप में जाना जाता है तथा जो भारत के लोक लेखा का हिस्सा बनेगा, में जमा किया जाएगा।

राजस्व मुख्यालय एवं इसके सचिवालय तथा विभिन्न संबद्ध कार्यालयों [केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो; भारत की वित्तीय आसूचना इकाई; माल और सेवा कर परिषद सचिवालय; प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, सीबीडीटी; प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, सीबीआईसी; सक्षम प्राधिकारी, कर नीति अनुसंधान इकाई, वेतन एवं लेखा कार्यालय (राजस्व)] के स्थापना संबंधी व्यय के लिए 378.84 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान वर्ष 2022-23 की तुलना में 2023-24 के लिए 335.78 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। संरचनागत विकास के कारण वर्ष 2022-23 के लिए 357.57 करोड़ रुपये के बजट अनुमान और 398.97 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान की तुलना में प्रवर्तन निदेशालय के लिए बजट अनुमान प्रावधान 404.57 करोड़ रुपये हो गया है। इसके अतिरिक्त, राजस्व विभाग की मांग संख्या 35 के अंतर्गत बजट अनुमान 2022-23 के 233.32 करोड़ रुपये के प्रावधान की तुलना में वर्ष2023-24 के लिए जीएसटीएन को उपयोगकर्ता के प्रभारों के भुगतान के लिए 296.00 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान रखा गया है।

राजस्व विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) को सहायता अनुदान (वेतन), अंतरराष्ट्रीय संगठनों जिसमें भारत एक सक्रिय भागीदार है,के लिए अंशदान जैसे कुछ अन्य व्यय और केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, विशेष जांच दल (एसआईटी) और विभिन्न अधिकरणों (सम्पह्नत संपत्ति अपीलीय अधिकरण; सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण (सीस्टैट), विभाग के अधीन कार्य कर रहे धन शोधन निवारण अधिनियम (एए-पीएमएमए) के अंतर्गत न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के स्थापना संबंधी व्यय हैं।

इस अनुदान के अंतर्गत अन्य प्रमुख व्यय सरकारी अफीम और क्षारोद कार्यों के संचालन पर है, जो घरेलू फार्मा कंपनियों द्वारा औषधीय उपयोग के लिए क्षारोद के आयात, निर्यात के लिए कच्ची अफीम के प्रसंस्करण, गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) और नीमच (मध्य प्रदेश) में स्थित उनके कारखानों के माध्यम से अफीम क्षारोद के निर्माण और अन्य संबंधित कार्यों के लिए उत्तरदायी हैं। वर्ष 2023-24 के लिए 467.74 करोड़ रुपये (लगभग) का प्रावधान रखा गया है।

पूंजी खंड के अंतर्गत, प्रमुख आवश्यकता एमएच 4070 के अंतर्गत है, जो कि टीपीआरयू, वेतन और लेखा कार्यालय (राजस्व),तस्कर एवं विदेशी मुद्रा छलसाधक(संपत्ति का समपहरण)अधिनियम तथा स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत सक्षम अधिकारियों,विभिन्न देशों में आयकर विदेशी इकाइयां(आईटीओयू), केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो, वित्तीय आसूचना इकाई(एफआईयू-आईएनडी), प्रधान

मुख्य लेखा नियंत्रक, सीबीडीटी, प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, सीबीईसी और माल और सेवा कर परिषद सचिवालय तथा केंद्रीय स्वापक ब्यूरो सहित राजस्व मुख्यालय की पूंजीगत प्रकृति के स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।

इसके अतिरिक्त, एमएच 4059 के अंतर्गत, प्रवर्तन निदेशालय के विभिन्न बुनियादी ढांचे संबंधी प्रस्तावों को पूरा करने के लिए बजट अनुमान 2023-24 में 0.08 करोड़ रुपये का टोकन प्रावधान भी रखा गया है।

अनुदान मांग संख्या - 36 - प्रत्यक्ष कर

प्रत्यक्ष करों में कोई केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएँ और केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएँ नहीं हैं। पूरा बजट सीबीडीटी (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) के क्षेत्रीय कार्यालयों से संबंधित वेतन/प्रशासनिक व्यय के लिए है।

वित्त वर्ष 2020-21 से प्रारंभ करके वर्ष-वार संक्षिप्त सार नीचे तालिका में दी गई है:-

(करोड़ रु.में)

वित्त वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान (अनुपूरक सहित)	कुल व्यय (संबंधिक वित्त वर्ष के 31 मार्च तक)	उपयोग किए गए संशोधित अनुमान का %	बजट और व्यय के मध्य का अंतर
2020-21	8065.39	7694.00	7403.07	96.22	बजट अनुमान से 662.32(चूंकि बजट अनुमान संशोधित अनुमान से अधिक है)
2021-22	8532.34	8508.89	7700.42	90.49	बजट अनुमान से 831.92(चूंकि बीई आरई से अधिक है)
2022-23	9308.80	9431.15	6206.37 (31.12.2022 तक)	65.78	--
2023-24	9892.87				

स्पष्टीकरण:

वित्त वर्ष 2020-21

8065.39 करोड़ रुपये के बजट अनुमान को संशोधित अनुमान स्तर पर 7694.00 करोड़ रुपये कर दिया गया अर्थात् 371.39 करोड़ रुपये की कमी है। राजस्व खंड में वेतन शीर्ष के अंतर्गत आवंटन 4534.97 करोड़ रुपये से घटाकर 4445.03 करोड़ रुपये किया गया जो बजट अनुमान पर 89.94 करोड़ रुपये की कमी है। दिनांक 31.03.2021 तक वास्तविक व्यय 7403.07 करोड़ रुपये था। (7229.93 करोड़ रुपये राजस्व खंड तथा 173.14 करोड़ रुपये पूँजी खंड के अंतर्गत है)। यह दर्शाता है कि संशोधित अनुमान के अनुसार बजट के 96.22% का उपयोग हुआ। राजस्व खंड के अंतर्गत संशोधित अनुमान के 67.51% का उपयोग किया गया जबकि पूँजी खंड के लिए यह 22.50% था। वित्तीय वर्ष 2020-21 में अभ्यर्पित धन राशि 580.71 करोड़ रुपये थी।

वित्त वर्ष 2021-22

8532.34 करोड़ रुपये के बजट अनुमान को संशोधित अनुमान स्तर पर 8508.89 करोड़ रुपये कर दिया गया था जो 23.45 करोड़ रुपये की कमी है। राजस्व खंड के अंतर्गत वेतन शीर्ष के अंतर्गत आवंटन 4811.74 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5056.30 करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया अर्थात् बजट अनुमान पर 244.56 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। दिनांक 31.03.2022 तक वास्तविक व्यय 7700.42 करोड़ रुपये हुआ (7484.95 करोड़ रुपये राजस्व खंड के अंतर्गत तथा 215.47 करोड़ रुपये पूँजी अनुभाग के अंतर्गत)। यह दर्शाता है कि संशोधित अनुमान के अनुसार बजट के 90.49% का उपयोग हुआ। राजस्व खंड के अंतर्गत संशोधित अनुमान के 91.20%का उपयोग किया गया जबकि पूँजी खंड के अंतर्गत 71.35% का उपयोग हुआ। वित्तीय वर्ष 2021-22 में अभ्यर्पित धनराशि 770.74 करोड़ रुपये थी।

वित्त वर्ष 2022-23

9308.80 करोड़ रुपये के बजट अनुमान को संशोधित अनुमान स्तर पर बढ़ाकर 9431.15 करोड़ रुपये कर दिया गया है जो 122.35 करोड़ रुपये की वृद्धि है। राजस्व खंड में 'वेतन' शीर्ष के अंतर्गत आवंटन को 5546.00 करोड़ रुपये से घटाकर 5350.00 करोड़ रुपये किया गया जो बजट अनुमान से 196.00 करोड़ रुपये की कमी है। दिनांक 31.12.2022 तक वास्तविक व्यय 6206.38 करोड़ रुपये है। (6105.69 करोड़ रुपये राजस्व खंड के अंतर्गत तथा 100.69 करोड़ रुपये पूँजी खंड के अंतर्गत)। यह दर्शाता है कि संशोधित अनुमान के अनुसार दिसम्बर, 2022 तक बजट के 65.78% का उपयोग हुआ। राजस्व खंड के अंतर्गत संशोधित अनुमान के 69.70% उपयोग किया गया जबकि पूँजी खंड के अंतर्गत उपयोगिता संशोधित अनुमान का 14.99% थी।

वित्त वर्ष 2023-24

वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमान 9892.87 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है जिसमें 8282.87 करोड़ रुपये राजस्व शीर्ष तथा 1610.00 करोड़ रुपये पूँजी शीर्ष के अंतर्गत है। राजस्व खंड में 'वेतन' के लिए 5851.00 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित किया गया है जो 8282.87 करोड़ रुपये केराजस्व अनुदान का 70.63% है और 9892.87 करोड़ रुपये के कुल अनुदान का 59.15% है।

व्यय विभाग की अधिसूचना एसओ संख्या 5895(ई) दिनांक 16.12.2022 के माध्यम से मौजूदा वस्तु शीर्षों में संशोधन किया गया है। राजस्व व्यय "वस्तु श्रेणी-I" के अंतर्गत "कर्मचारियों को मुआवजा" दिया गया है और इसमें वेतन, पुरस्कार, भत्ते और अवकाश यात्रा रियायतें शामिल हैं। तदनुसार, वेतन, पुरस्कार, भत्ते और अवकाश यात्रा रियायतों की आवश्यकता के लिए मौजूदा वस्तु शीर्ष "वेतन" का ब्यौरा दिया जाना चाहिए। पिछले वर्षों के व्यय की प्रवृत्ति के आधार पर, बीसीए से प्राप्त वस्तु शीर्ष "वेतन" के विवरण से संबंधित इनपुट और कुछ बीसीए के साथ चर्चा के मद्देनजर, वेतन के 40-45%तक की राशि भत्तों, एलटीसी, पुरस्कार (बोनस) आदि के भुगतान के लिए प्रस्तावित है और 55-60%वेतन के आधारभूत भाग के लिए प्रस्तावित है।

तदनुसार, संशोधित वस्तु शीर्षों के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार, बजट अनुमान 2023-24 के लिए वस्तु शीर्ष "वेतन" के अंतर्गत प्रक्षेपण निम्नानुसार प्रस्तावित है:

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	विद्यमान वस्तु शीर्ष	बजट अनुमान 2023-24	नए वस्तु शीर्ष	बजट अनुमान 2023-24
1	वेतन	5851.00	वेतन	3335.50
			पुरस्कार	29.25
			भत्ते	2457.00
			एलटीसी	29.25
कुल		**5851.00**		**5851.00**

गैर-वेतन राजस्व खंड के अंतर्गत, विभिन्न मौजूदा वस्तु शीर्षों और नए वस्तु शीर्षों के अंतर्गत प्रक्षेपण का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:-

- **मजदूरी:-** इस शीर्ष के अंतर्गत बजट अनुमान 2023-24 के लिए 80.00 करोड़ रुपये तक का व्यय अनुमानित है जो राजस्व अनुदान का 0.96% है।
- **समयोपरि भत्ता:-** दिनांक 16.12.2022 की अधिसूचना के अनुसार, दिनांक 01.04.2023 से समयोपरि भत्ता अब एक पृथक वस्तु शीर्ष नहीं रहा और इसे अब भत्ता के रूप में ही लिया जाएगा। तद्नुसार, समयोपरि भत्ता के अंतर्गत प्रस्तावित राशि शून्य है।
- **चिकित्सा उपचार:-** बजट अनुमान 2023-24 के लिए इस शीर्ष के अंतर्गत 72 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है जो राजस्व अनुदान का 0.86% है।
- **घरेलू यात्रा व्यय:-** बजट अनुमान 2023-24 के लिए इस शीर्ष के अंतर्गत 74 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है जोराजस्व अनुदान का 0.89% है।
- **विदेश यात्रा व्यय:-** बजट अनुमान 2023-24 के लिए इस शीर्ष के अंतर्गत व्यय 2.00 करोड़ रूपए अनुमानित है, जो राजस्व अनुदान का 0.02% है। चालू वित्त वर्ष में कोविड-19 महामारी की स्थिति में सुधार के कारण और ओईसीडी और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा आयोजित विभिन्न सम्मेलनों और सेमिनारों के आयोजन के कारण, एफटी एंड टीआर, अंतर्राष्ट्रीय कराधान और/या हस्तांतरण मूल्य निर्धारण इकाइयों के अन्तर्गत तैनात विभिन्न अधिकारियों द्वारा भाग लेने की आवश्यकता के कारण, निधियों की आवश्यकता होगी।
- **कार्यालय व्यय :-** बजट प्रभाग, डीईए द्वारा बजट अनुमान 2023-24 के लिए सूचित सीमा को ध्यान में रखते हुए और दिनांक 16.12.2022 की अधिसूचना के अतिरिक्त, व्यय का एक हिस्सा, जो पहले मौजूदा वस्तु शीर्ष "कार्यालय व्यय" में शामिल था, को आंशिक रूप से 3 नए वस्तु शीर्ष अर्थात् "अन्य के लिए किराया", ईंधन और लूब्रीकेंट और "मरम्मत और रखरखाव" में लिया गया है। इन तीन नए वस्तु शीर्ष के बारे में चर्चा बाद की टिप्पणियों में दी गई है। तदनुसार, पूर्व वर्षों के व्यय के रुझान के आधार पर, बीसीए से प्राप्त इनपुट और जीईएम वेबसाइट पर डेटा के मद्देनजर, बजट अनुमान 2023-24 के लिए वस्तु शीर्ष "कार्यालय व्यय" के लिए अनुमान 806.30 करोड़ रुपये प्रस्तावित है।

- **किराया, दरें और कर:-** इस शीर्ष के अंतर्गत बजट अनुमान 2023-24 के लिए 650.97 करोड रुपए का व्यय अनुमानित है, जो राजस्व अनुदान का 7.86% है।
- **प्रकाशनः-** इस शीर्ष के अंतर्गत बजट अनुमान 2023-24 के लिए 3.30 करोड़ रु का व्यय अनुमानित है, जो राजस्व अनुदान का 0.039% है।
- **अन्य प्रशासनिक व्यय :-** दिनांक 16.12.2022 की अधिसूचना के मद्देनजर, दिनांक 01.04.2023 वस्तु शीर्ष "अन्य प्रशासनिक व्यय" अब एक पृथक वस्तु शीर्ष नहीं है। मौजूदा वस्तु शीर्ष " अन्य प्रशासनिक व्यय" आवश्यकता के अंतर्गत नए वस्तु शीर्ष को "अन्य राजस्व व्यय" में शामिल किया गया है और "प्रशिक्षण भाग" को नए वस्तु शीर्ष "प्रशिक्षण व्यय" में शामिल किया गया है।
- **विज्ञापन एवं प्रचार:-** इस शीर्ष के अंतर्गत बजट अनुमान 2023-24 के लिए आईएफयू द्वारा 75.00 करोड़ रु का व्यय अनुमानित है, जो राजस्व अनुदान का 0.90% है।
- **लघु निर्माण कार्य :-** इस शीर्ष के अंतर्गत बजट अनुमान 2023-24 के लिएकुल अनुमानित व्यय 100 करोड़ रु.है, जो राजस्व अनुदान का 1.20% है।
- **व्यावसायिक सेवाएं: -** इस शीर्ष के अंतर्गत बजट अनुमान 2023-24 के लिए 102.55 करोड़ रु के व्यय का अनुमान है, जो राजस्व अनुदान का 1.23% है।
- **अंशदानः-** इस शीर्ष के अंतर्गत बजट अनुमान 2023-24 के लिए 1.01 करोड़ रु. का व्यय अनुमानित है, जो राजस्व अनुदान का 0.01% है ।
- **गुप्त सेवा व्ययः-** इस शीर्ष के अंतर्गत बजट अनुमान 2023-24 के लिए 42.00 करोड़ रु. का व्यय अनुमानित है, जो राजस्व अनुदान का 0.50% है।
- **अन्य शुल्क: -** दिनांक 16.12.2022 की अधिसूचना के मद्देनजर, दिनांक 01.04.2023 से वस्तु शीर्ष "अन्य शुल्क अब एक अलग वस्तु शीर्ष नहीं है और इसे या तो पुरस्कार एवं पारितोषिक या अन्य राजस्व व्यय के हिस्से के रूप में माना जाए। तदनुसार, अन्य शुल्कों के अंतर्गत अनुमानित व्यय को "पुरस्कार एवं पारितोषिक" नामक एक नए वस्तु शीर्ष के अंतर्गत प्रस्तावित किया जा रहा है।
- **स्वच्छता कार्रवाई योजना: -** इस शीर्ष के अंतर्गतबजट अनुमान 2023-24 के लिए 25.00 करोड़ रु. का व्यय अनुमानित है, जो राजस्व अनुदान का 0.30% है।
- **सूचना प्रौद्योगिकी (अन्य व्यय): -** दिनांक 16.12.2022 की अधिसूचना द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के माध्यम से, दिनांक 01.04.2023 से, पूर्ववर्ती सूचना प्रौद्योगिकी (अन्य व्यय)के राजस्व भाग को डिजिटल उपकरण के अंतर्गत रखा जाना है। तदनुसार, " डिजिटल उपकरण " नामक एक नए वस्तु शीर्ष को 100 करोड़ रुआवंटित किए जाएंगे।इसके अलावा,900 करोड़ रु. की राशि की पूंजी व्यय के रूप में पहचान की गई है और एम.एच. 4075 के अंतर्गत आवंटित किया गया है।
- **अन्य के लिए किराया :-** यह एक नया वस्तु शीर्ष है और इसमें उपकरण और विभिन्न मदों जैसे कार्यालय उपकरण, परिवहन, कंप्यूटर और सहायक उपकरण, संचार, वायु वातानुकूलन आदि के लिए

किराए पर व्यय शामिल होगा। इसमें उपकरण और अन्य वस्तुओं के लिए पट्टा शुल्क भी शामिल होगा, जिसका स्वामित्व सरकार को हस्तांतरणीय नहीं है। इस नए वस्तु शीर्ष के लिए 187.91 करोड़ रुपये की राशिका प्रस्ताव किया जा रहा है, जो पूर्व में विद्यमान वस्तु शीर्ष "कार्यालय व्यय" में शामिल थी।

- **ईंधन और ल्यूब्रीकेंट:-** यह एक नया वस्तु शीर्ष है और इसमें पेट्रोल, तेल, ल्यूब्रीकेंटऔर अन्य ईंधनों पर व्यय शामिल होगा। 15.00 करोड रुपये की राशिइस नए वस्तु शीर्ष के लिए प्रस्तावित की जा रही है, जो पहले मौजूदा वस्तु शीर्ष "कार्यालय व्यय" में शामिल थी।
- मरम्मत और रखरखाव यह एक नया वस्तु शीर्ष है और इसमें मशीनरी और उपकरण, कार्यालय उपकरण, कार्यालय उपयोग के लिए डिजिटल उपकरण, डिजिटल उपकरण आदि जैसे उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव (सभी रखरखाव अनुबंध सहित) पर व्यय शामिल होगा। इस नए वस्तु शीर्ष के लिए 25.00 करोड़ रु. की राशि प्रस्तावित की जा रही है, जो पूर्व में विद्यमान वस्तु शीर्ष "कार्यालय व्यय" में शामिल थी।
- रॉयल्टी:- यह एक नया वस्तु शीर्ष है और इसमें पेटेंट, डिजाइन आदि की रॉयल्टी पर व्यय शामिल होगा और इस नए वस्तु शीर्ष के लिए 50 हजार रु. की राशि प्रस्तावित की जा रही है।
- प्रशिक्षण व्यय:- यह एक नया वस्तु शीर्ष है और इसमें प्रशिक्षण, कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए भुगतान की गई फीस, आकस्मिक व्यय, सामग्री आदि जैसे प्रशिक्षण लागत पर व्यय शामिल होगा। पहले यह राशि "अन्य प्रशासनिक व्यय" में शामिल थी। प्रधान महानिदेशक (मानव संसाधन विकास), नई दिल्ली और प्रधान महानिदेशक(प्रशिक्षण), एनएडीटी, नागपुर के लिए निधि की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इस नए वस्तु शीर्ष के लिए 42 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की जा रही है।
- अन्य राजस्व व्यय: - यह एक नया वस्तु शीर्ष है और इसमें समाचार पत्रों, ब्रीफकेस आदि की प्रतिपूर्ति पर व्यय शामिल होगा। इसके अलावा, कोई अन्य व्यय जो इन विनिर्दिष्ट वस्तु शीर्षों में से किसी के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, इस शीर्ष से डेबिट किया जाएगा। इस नए वस्तु शीर्ष के लिए 21.82 करोड़ रु. की राशि का प्रस्ताव किया जा रहा है।
- पुरस्कार और पारितोषिक:- यह एक नया वस्तु शीर्ष है और इसमें प्रतिष्ठित व्यक्तियों और संगठनों को सरकार द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों और पारितोषिकों पर व्यय शामिल होगा। इस वस्तु शीर्ष का कुछ हिस्सा मौजूदा वस्तु शीर्ष "अन्य शुल्क " में शामिल किया गया था। इस नए वस्तु शीर्ष हेतु 3.01 करोड़ रु. की राशिका प्रस्ताव किया जा रहा है।
- डिजिटल उपकरण: - यह एक नया वस्तु शीर्ष है और इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की खरीद पर राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले व्यय, जहां मद की लागत 1 लाख रुपये की सीमा से अधिक नहीं है या तीन साल का उपयोगी जीवन, दोनों में से कोई एक, और उपभोग्य वस्तुएं आदि शामिल होंगे। इस वस्तु शीर्ष को मौजूदा वस्तु शीर्ष "सूचना प्रौद्योगिकी (अन्य व्यय)" में शामिल किया गया था। इस नए वस्तु शीर्ष के लिए 100 करोड़ रु का प्रस्ताव किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व खंड के अनुमानों का सारांश नीचे दिए गए विवरण के अनुसार है।

(करोड़ रूपए में)

क्रम संख्या	मौजूदा वस्तु शीर्ष	बजट अनुमान 24-2023			संशोधित वस्तु शीर्ष	बजट अनुमान 24-2023
1	वेतन	5851.00		1	वेतन	3,335.50
				2	भत्ते	2,457.00
				3	पुरस्कार	29.25
				4	एलटीसी	29.25
2	मजदूरी	80.00	कोई परिवर्तन नहीं	5	मजदूरी	80.00
3	चिकित्सा उपचार	72.00	कोई परिवर्तन नहीं	6	चिकित्सा उपचार	72.00
4	घरेलू यात्रा व्यय	74.00	कोई परिवर्तन नहीं	7	घरेलू यात्रा व्यय	74.00
5	विदेश यात्रा व्यय	2.00	कोई परिवर्तन नहीं	8	विदेश यात्रा व्यय	2.00
6	समयोपरि भत्ता (ओटीए)	0.25	विलोपित			0.00
7	कार्यालय व्यय (पारित)	-		9	कार्यालय व्यय	806.30
			नया शीर्ष (अन्य व्यय से अलग)	10	अन्य के लिए किराया	187.91
			नया शीर्ष (अन्य व्यय से अलग)	11	ईंधन और ल्यूब्रीकेंट	15.00
			नया शीर्ष (अन्य व्यय से अलग)	12	मरम्मत और रखरखाव	25.00
			नया शीर्ष	13	रॉयल्टी	0.01
8	किराया, दर और कर	650.97	कोई परिवर्तन नहीं	14	किराया, दर और कर	650.97
9	प्रकाशन	3.30	कोई परिवर्तन नहीं	15	प्रकाशन	3.30
10	अन्य प्रशासनिक व्यय	-	एक नए वस्तु शीर्ष "प्रशिक्षण व्यय" में रखा गया और	16	प्रशिक्षण व्यय	45.00
			आंशिक रूप से एक नए वस्तु शीर्ष "अन्य राजस्व व्यय" में रखा गया	17	अन्य राजस्व व्यय	21.82
11	विज्ञापन और प्रचार	75.00	कोई परिवर्तन नहीं	18	विज्ञापन और प्रचार	75.00
12	लघु निर्माण कार्य	100.00	कोई परिवर्तन नहीं	19	लघु निर्माण कार्य	100.00
13	व्यवसायिक सेवाएं	102.55	कोई परिवर्तन नहीं	20	व्यवसायिक सेवाएं	102.55

14	**अंशदान**	1.00	कोई परिवर्तन नहीं	**21**	**योगदान**	1.01
15	**गुप्त सेवा व्यय**	42.00	कोई परिवर्तन नहीं	**22**	**गुप्त सेवा व्यय**	42.00
16	**अन्य शुल्क**	-	बंद कर दिया गया और राशि को एक नए शीर्ष **"अन्य राजस्व व्यय" और "पुरस्कार और पारितोषिक" में रखा गया।**	**23**	**पुरस्कार और पारितोषिक**	3.01
17	**स्वच्छता कार्रवाई योजना (अन्य व्यय) - कार्यालय व्यय**	25.00	कोई परिवर्तन नहीं	**24**	**स्वच्छता कार्रवाई योजना**	25.00
18	**सूचना प्रौद्योगिकी (अन्य व्यय) - कार्यालय व्यय**	100.00	संशोधित और एक नए वस्तु शीर्ष "डिजिटल उपकरण" में राशिशामिल	**25**	**डिजिटल उपकरण**	100.00
19	**विभागीय कैंटीन- अन्य प्रशासनिक व्यय**	-	वेतन और "अन्य व्यय" में शामिल			0.00
	कुल	**8,282.87**				**8,282.87**

पूंजी खंड में, बजट अनुमान 2023-24 के लिए 1610.00 करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव किया गया है।

- 560.00 करोड़ रुपये का अनुदान, प्रमुख शीर्ष 4059 (कार्यालय आवास का अधिग्रहण(, 4075 (संपत्ति XX-ग का अधिग्रहण और (4216 (आवासीय आवास का अधिग्रहणके लिए है। (
- इसके अलावा, 1050.00 करोड़ रुपये की राशि, व्यय विभाग की अधिसूचना का संख्या .आ.5895(अ (दिनांक16.12.2022 के अनुसार वस्तु शीर्ष में परिवर्तन के कारण राजस्व वस्तु शीर्ष "कार्यालय व्यय" में से पूंजीकरण के लिए प्रस्तावित किया गया है। "(अन्य व्यय) सूचना प्रौद्योगिकी" और

बजट अनुमान 2023-24 के लिए पूंजी खंड के अनुमान का विवरण नीचे दिया गया है: -

(आंकड़े करोड़ रुपए में)

	पूंजी खंड	**बजट अनुमान 2023-24**
क्रम सं.	**प्रमुख शीर्ष**	
1	**4059** कार्यालय आवास का अधिग्रहण	466.19
2	**4059** निर्मित कार्यालय आवास का अधिग्रहण	0.01

3	**4075** विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	1052.00
4	**4216** आवासीय आवास का अधिग्रहण	91.79
5	तैयार आवासीय आवास का अधिग्रहण	0.01
	कुल	1610.00

मुख्य विशेषताएं:-

(क) राजस्व खंड

1. **"वेतन"** शीर्ष के अंतर्गत आबंटन लगातार बढ़ रहा है। 2020-21 के संशोधित अनुमान में यह राशि रु. 4445.03 करोड़ थी और बजट अनुमान 2023-24 के लिए 5851.00 करोड़ रु की राशि प्रस्तावित की गई। वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2023-24 तक इस शीर्ष के अंतर्गत आबंटन में 31.63% की वृद्धि हुई है।
2. **"मजदूरी"** शीर्ष के अंतर्गत आबंटन लगातार बढ़ रहा है। 2020-21 के संशोधित अनुमान में यह राशि रु. 70.61 करोड़ थी और बजट अनुमान 2023-24 के लिए 80.00 करोड़ रु की राशि प्रस्तावित की गई। वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2023-24 तक इस शीर्ष के अंतर्गत आबंटन में 9.39% की वृद्धि हुई है ।
3. **"चिकित्सकीय उपचार"** शीर्ष के अंतर्गत आबंटन में लगातार वृद्धि हो रही है। 2020-21 के संशोधित अनुमान में यह राशि 52.86करोड़ रुपये थी और बजट अनुमान 2023-24 के लिए 72 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गई। वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2023-24 तक इस शीर्ष के अंतर्गत आबंटन में 36.21% की वृद्धि हुई है ।
4. **"घरेलू यात्रा व्यय"** शीर्ष के अंतर्गत आबंटन लगातार बढ़ रहा है। 2020-21 के संशोधित अनुमान में यह राशि 72.00 करोड़ रुपये थी और बजट अनुमान 2023-24 के लिए 74.00 करोड़रुपये की राशि प्रस्तावित की गई। वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2023-24 तक इस शीर्ष के अंतर्गत आबंटन में 2.78% की वृद्धि हुई है ।
5. संशोधित अनुमान 2020-21 (केवल 0.10 करोड़ रुपये) की तुलना में बजट अनुमान 2023-24 में **"विदेश यात्रा व्यय"** शीर्ष के अंतर्गत आबंटन में 1900% (2 करोड़ रुपये) की वृद्धि हुई है।
6. **"कार्यालय व्यय"** के अंतर्गत वित्त वर्ष 2020-21 में आबंटन 1114.29 करोड़ रुपयेथा। बजट अनुमान 2023-24 के लिए 806.30 करोड़ रुपयेका आबंटन प्रस्तावित किया गया है जो वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में 27.64% कम है।
7. **"किराया, दर और कर"** शीर्ष के अंतर्गत आबंटन लगातार बढ़ रहा है। 2020-21 के संशोधित अनुमान में यह राशि 555.96 करोड़ रुपयेथी और बजट अनुमान 2023-24 के लिए वित्त वर्ष 2020-21 से 650.97 करोड़ रुपयेकी राशि प्रस्तावित की गई। इस शीर्ष के अंतर्गत आबंटन वित्त वर्ष 2023-24 तक 17.09% बढ़ गया है।

8. **"प्रकाशन"** शीर्ष के अंतर्गत आबंटन बढ़ा है; संशोधित अनुमान 2020-21 में यह राशि 2.67 करोड़ रुपयेथी जबकि बजट अनुमान 2023-24 में 3.30 करोड़ रुपयेकी राशि प्रस्तावित की गई है जो कि संशोधित अनुमान2020-21 से 23.60% की समग्र वृद्धि दर्शाता है।

9. **"विज्ञापन एवं प्रचार"** शीर्ष के अंतर्गत आबंटन लगातार बढ़ रहा है। 2020-21 के संशोधित अनुमान में यह राशि 38.64 करोड़ रुपये थी और बजट अनुमान 2023-24 के लिए वित्त वर्ष 2020-21 से 75.00 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गई। वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक इस शीर्ष के अंतर्गत आबंटन में 94.10% की वृद्धि हुई है।

10. **"लघु एंव सिविल निर्माण कार्य"** शीर्षके अंतर्गत संशोधित अनुमान 2020-21 में 70.07 करोड रु. का आबंटन किया गया था।बजट अनुमान 2023-24 के लिए 100.00 करोड़ रुपयेका आबंटन प्रस्तावित किया गया है जो कि वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में 42.71% की वृद्धि को दर्शाता है।

11. वित्तीय वर्ष 2020-21 में, **"व्यावसायिक सेवाएं"** शीर्ष के अंतर्गत 99.57 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया था, बजट अनुमान 2023-24 के लिए 102.55 करोड़ रु. का आबंटन प्रस्तावित किया गया है जो कि वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में 2.99% की वृद्धि को दर्शाता है।

12. वित्तीय वर्ष 2020-21 में**"अंशदान"** शीर्षके अंतर्गत 0.25 करोड़ रु. का आबंटन किया गया था, बजट अनुमान 2023-24 के लिए 1.00 करोड़ रुपये का आबंटन प्रस्तावित किया गया है, जो कि वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में 300% की वृद्धि को दर्शाता है।

13. **"गुप्त सेवा व्यय"** शीर्ष में आबंटन लगातार बढ़ रहा है। 2020-21 के संशोधित अनुमान में यह राशि 28.50करोड़ रु. थी और बजट अनुमान 2023-24 के लिए 42 करोड़ रुपयेपर प्रस्तावित की गई। वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2023-24 तक इस शीर्ष के अंतर्गत आबंटन में 47.37 % की वृद्धि हुई है।

14. **"स्वच्छता कार्रवाई योजना (अन्य व्यय)"** शीर्ष के अंतर्गत आबंटन 13.64% बढ़ गया है। संशोधित अनुमान 2020-21 में 22.00 करोड़ रु. से बढकर बजट अनुमान 2023-24 में 25.00 करोड़ रु. हो गया है।

(ख) पूंजी खंड

पूंजी खंड के अंतर्गत, वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान और वित्त वर्ष 2021-22 के हिस्से में भी परियोजनाओं के पूरा होने की गति धीमी रही थी। कोविड-19 के कारण, कई परियोजनाओं में देरी हुई है। वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 में पूंजी खंड के अंतर्गत आवंटित धन की कुछ राशि छोड दी गई है। हालाँकि, यह उम्मीद की जाती है कि आने वाला वर्ष एक सामान्य वर्ष हो सकता है और इसकी प्रत्याशा करते हुए, बजट अनुमान 2023-24 को बढ़ाया गया है। संशोधित अनुमान 2020-21 में 202.02 करोड़ रु. का आबंटन किया गया था जबकिवित्त वर्ष 2023-24 के लिए यह राशि 1610.00 करोड़ रु. तक

बढ़ गई जो कि वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में 697.03% की भारी वृद्धि है, जिसका कारण डीएफपीआर, 1978 के नियम-8 के अंतर्गत संशोधित/नए वस्तु शीर्षों का संचालन है।

अनुदान की मांग संख्या-37 – अप्रत्यक्ष कर

इस अनुदान के अंतर्गत सीबीआईसी (केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्कबोर्ड) के क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए स्थापना संबंधी व्यय के लिए प्रावधान किए गए हैं और केन्द्रीय क्षेत्र की योजनओं जैसे कि निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीपी) एवं अन्य स्क्रिप-आधारित योजनओं के लिए प्रावधान किए गए हैं। पिछले 3 वर्षों के लिए वर्ष-वार आबंटन और उपयोगिता, जो वित्त वर्ष 2020-21 से लागू हुई, इस प्रकार है:

(करोड रूपए में)

वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	कुल व्यय (प्रत्येक वित्त वर्ष की 31/3 तक)	उपयोग किए गए संशोधित अनुमान का %	अभ्यर्पित राशि
2020-21	8258.50	7582.47	7384.21	97.39	762.11
2021-22	21359.27	74938.99	57592.53	76.85	17152.89
2022-23	41139.17	36687.94	25622.32(दिसम्बर,2022 तक)	67.11	-
2023-24	38510.58	-	-	-	-

स्पष्टीकरण:

वित्त वर्ष 2020-21

बजट अनुमान 2020-21 में 8258.50 करोड रूपए [राजस्व खंड के अंतर्गत: 7820.50 करोड रूपए एवं पूंजी खंड के अंतर्गत: 438.00 करोड रूपए] से घटाकर संशोधित अनुमान 2020-21 [राजस्व खंड 7304.47 करोड रुपए + पूंजी खंड 278.00 करोड रुपए] में 7582.47 करोड रूपए कर दिया गया था। राजस्व व्यय के अंतर्गत पुरस्कार, घरेलू यात्रा व्यय, अन्य प्रशासनिक व्यय और प्रचार एवं प्रसार के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर पर कटौती की गई थी। पूंजी शीर्ष में, कटौती मुख्य रुप से तस्कर-रोधी उपकरणों के अधिग्रहण और कार्यालय एवं आवासीय भवनों के लिए प्रावधान के अंतर्गत थी।

31.03.2021 तक कुल व्यय 7384.21 करोड रूपए [7168.11 करोड रूपए राजस्व खंड के अंतर्गत और 216.10 करोड रुपए पूंजी खंड के अंतर्गत] यह दर्शाता है कि संशोधित अनुमान के अनुसार मार्च, 2021 तक 97.39 प्रतिशत बजट उपयोग किया जा चुका था। राजस्व खंड के अंतर्गत संशोधित अनुमान के 98.13 प्रतिशत का उपयोग राजस्व खंड में किया गया था जबकि पूंजी खंड के अंतर्गत संशोधित अनुमान के 77.73 प्रतिशत का उपयोग पूंजी खंड में किया गया था।

वित्त वर्ष 2021-22

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, आरओडीटीपी योजना के लिए 13,000 करोड रूपए का प्रावधान किया गया था। इस प्रावधान के कारण, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट अनुमान 2020-21 के बजट अनुमान जो 8258.50 करोड रुपए था जो काफी ज्यादा बढकर 21,359.27 करोड रूपए हो गया था।

इसके अतिरिक्त, संशोधित अनुमान 2021-22 के समय आरओएससीटीएल और अन्य स्क्रिप-आधारित योजनाओं के प्रावधानों के साथ, 2021-22[राजस्व खंड 73960.99 करोड रूपए + पूंजी खंड 978.00 करोड रूपए] में 74938.99 करोड रूपए हो गया था। बढोत्तरी मुख्य रूप से बजट अनुमान 2020-21 में 13,000.00 करोड रूपए की स्क्रिप-आधारित योजनाओं और आरओडीईटीपी, आरओएससीटीएल और अन्य स्क्रिप-आधारित योजनाओं के लिए 66122.63 करोड रूपए को शामिल करने के कारण है। अन्य वस्तु शीर्षों में राजस्व व्यय के अंतर्गत स्थापना संबंधी व्यय में निम्न को बढाया गया पुरस्कार, किराया दरें एवं कर और सूचना प्रौद्योगिकी। पूंजी शीर्ष के अंतर्गत, बढोत्तरी मुख्य रूप से सीबीआईसी के कार्यालयों और आवासीय भवनों के लिए अवसंरचना संबंधी पूंजी योजनाओं केकारण थी।

31.03.2022 कर कुल व्यय 57592.53 करोड रूपए [7838.36 करोड रूपए के बजट में से 7589.78 करोड रूपए का बजट सीबीआईसी के सामान्य बजट के 96.83% के बजट उपयोग को दर्शाता है और 66122.63 करोड रूपए के बजट में से 49323.46 करोड रूपए का बजट व्यय राजस्व खंड के अंतर्गत स्क्रिप-आधारित योजनाओं पर 74.59 % के बजट उपयोग को दर्शाता है और 978.00 करोड रूपए में से 679.29 करोड रूपए का बजट पूंजी खंड के अंतर्गत 69.46 % के बजट के उपयोग को दर्शाता है] था जो संशोधित अनुमान के अनुसार सम्पूर्ण बजट अनुदान के 76.85 % को दर्शाता है।

वित्त वर्ष 2022-23 (दिसम्बर, 2022 तक)

2022-23 में बजट अनुमान 41139.17 करोड रूपए [राजस्व खंड के अंतर्गत: 39739.17 करोड रूपए एवं पूंजी खंड के अंतर्गत: 1400.00 करोड रूपए] से घटाकर संशोधित बजट 2022-23 [राजस्व खंड 35749.94 करोड रूपए + पूंजी खंड 938.00 करोड रूपए] में 36687.94 करोड रूपए हो गया। कटौती मुख्यत: राजस्व व्यय के अंतर्गत स्क्रिप-आधारित योजनाओं के बजट में थी। पूंजी शीर्षों के अंतर्गत, कटौती मुख्य रूप से तस्कर-रोधी उपकरणों के अधिग्रहण और कार्यालयों और आवासीय भवनों के लिए प्रावधान के कारण थी।

31.12.2022 तक कुल व्यय 24622.32 करोड रूपए [8640.22 करोड रूपए के बजट में से 6495.78 करोड रूपए का बजट सीबीआईसी के सामान्य बजट के 75.18% की उपयोगिता को दर्शाता है और 27109.72 करोड रूपए में से 17787.06 करोड रूपए का बजट राजस्व खंड के अंतर्गत स्क्रिप-आधारित योजनाओं के बजट के 65.61% के उपयोग को दर्शाता है और 938.00 करोड रूपए के बजट में से

339.48 करोड रूपए पूंजी खंड के अंतर्गत 36.19% के बजट की उपयोगिता को दर्शाता है] था जो संशोधित अनुमान के अनुसार कुल बजट अनुमान के 67.11% को दर्शाता है।

<u>वित्त वर्ष 2023-24</u>

बजट अनुमान 2023-24 [राजस्व खंड के अंतर्गत 36305.58 करोड रुपए एवं पूंजी खंड के अंतर्गत 2205.00 करोड रूपए] में से 38510.58 करोड रूपए के बजट में, आरओडीटीपी और अन्य स्क्रिप-आधारित योजनाओं के लिए 27554.59 करोड रूपए का बजट शामिल है। बजट अनुमान 2023-24 में, सीबीआईसी का स्थापना संबंधी व्यय, केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं अर्थात् आरओडीपी + अन्य स्क्रिप-आधारित योजनाओं को छोडकर 10955.99 करोड रूपए है।

<u>राजस्व खंड</u> – राजस्व पक्ष पर, 'वेतन' (6962.31 करोड रुपए) शीर्ष पर व्यय 38510.58 करोड रूपए के कुल अनुदान का 18.08% होने का अनुमान है। 'वेतन' मद में पिछले वित्त वर्ष 2021-22 (6216.35 करोड़ रुपये) के संशोधित अनुमान की तुलना में 12.00% की वृद्धि वार्षिक वेतन वृद्धि, डीए की किस्तों, सीबीआईसी में नए पदों को भरने के लिए है। डीडीजी 2023-24 में व्यय विभाग के दिनांक 15.12.2022 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार नए/संशोधित वस्तु शीर्षों के संचालन के कारण वेतन के कुल व्यय को तीन वस्तु शीर्षों अर्थात वेतन, भत्ते और एलटीसी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। राजस्व पक्ष पर वेतन के अलावा प्रमुख व्यय पाँच प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत है, जैसे "आरओडीटीईपी + अन्य स्क्रिप-आधारित योजनाएँ", 'कार्यालय व्यय', 'भूमि और भवन के लिए किराया, दर और कर', 'अन्यों के लिए किराया' और ' 28734.07 करोड़ रुपये की पेशेवर सेवाएं', जो कुल "राजस्व खंड" (36305.58 करोड़ रुपये) का 79.14% है। इन शीर्षों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

(क) आरओडीटीईपी+अन्य स्क्रिप-आधारित योजनाएं (केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं): वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमान 27554.59 करोड़ रुपये है जो कि वित्त वर्ष 2022-23 में इन योजनाओं के संशोधित अनुमान (27109.72 करोड़ रुपये) की तुलना में 1.64% अधिक है (अनुबंध में दिये गये विवरण के अनुसार)।

(ख) कार्यालय व्यय: 'कार्यालय व्यय' के अंतर्गत व्यय 434.04 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो कुल अनुदान (38510.58 करोड़) का 1.13% है। व्यय विभाग के दिनांक 15.12.2022 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसारनए वस्तु शीर्षों के परिचालन के कारण संशोधित अनुमान 2022-23 (808.00 करोड़ रुपये) की तुलना में 46.28% की कमी आयी है, जिसके परिणामस्वरूप कुछ व्यय जो पहले कार्यालय व्यय के अंतर्गत रक्षित किया गया था, को अब अन्य वस्तु शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

(ग) 'भूमि और भवन के लिए किराया, दर और कर': इस शीर्ष में 468.02 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है जो कुल अनुदान (38510.58 करोड़) का 1.22% है। 'किराया, दर और कर' में वित्त वर्ष 2022-23 के संशोधित अनुमान (500.00 करोड़ रुपये) की तुलना में 6.40% की कमी आई है। बजट अनुमान

2023-24 में कमी वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान फील्ड फॉर्मेशन द्वारा अनुरोध किए गए आरआरटी दावों के बकाए के कम मामलों के कारण है।

(घ) अन्यों के लिए किराया: इस शीर्ष में 172.44 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है जो कुल अनुदान (38510.58 करोड़) का 0.45 प्रतिशत है। व्यय विभाग के दिनांक 15.12.2022 के कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित यह नया वस्तु शीर्ष है। इस शीर्ष में शामिल व्यय वाहनों को ज्यादातर किराए पर लेने के लिए होता है।

(ङ) व्यावसायिक सेवाएं: इस शीर्ष में 105.00 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है जो कुल अनुदान (38510.58 करोड़) का 0.27% है। 'पेशेवर सेवाओं' में वित्त वर्ष 2022-23 के संशोधित अनुमान (74.16 करोड़ रुपये) की तुलना में 41.59% की वृद्धि हुई है। वृद्धि मुख्य रूप से घाटे की अदालती फीस का भुगतान करने के लिए धन की अधिक आवश्यकता के कारण है।

पूंजी खंड - वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमान 2205.00 करोड़ है जो संशोधित अनुमान 2022-23 (938.00 करोड़ रुपये) की तुलना में 135.07% बढा है। इन शीर्षों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

(क) एमएच 4047 - इस शीर्ष के अंतर्गत व्यय 855.00 करोड़ रुपये होने का अनुमान है (जिसमें तस्करी विरोधी उपकरण की खरीद के लिए 150.00 करोड़ रुपये और महानिदेशक प्रणाली, सिस्टम की प्रमुख आईटी परियोजनाओं के लिए 495.00 करोड़ रुपये शामिल हैं) जो'एमएच 4047' में कुलपूंजीगत अनुदान (2205.00 करोड़) का 38.77% है । वित्त वर्ष 2022-23 के संशोधित अनुमान (43.00 करोड़ रुपये) की तुलना में 1888.37% की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि मुख्य रूप से व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 15.12.2022 में उल्लिखित पूंजी अनुभाग के अंतर्गत नए वस्तु शीर्ष के खुलने के कारण हुई है।इस शीर्ष के अंतर्गत शामिल नया व्यय ज्यादातर सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण और सीमा शुल्क और सीजीएसटी की फील्ड फॉर्मेशन के लिए फर्नीचर और फिक्स्चर से संबंधित है जो पहले राजस्व अनुभाग का हिस्सा था।

(ख) एमएच 4059- इस शीर्ष में 950.00 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है जो कुल अनुदान (2205.00 करोड़) का 43.08 प्रतिशत है। 'एमएच 4059' में वित्त वर्ष 2022-23 के आरई (630 करोड़ रुपये) से 50.79% की वृद्धि हुई है । वृद्धि मुख्य रूप से सीबीआईसी के कार्यालय आवास की ढांचागत परियोजनाओं जैसे कार्यालय के लिए भूमि की खरीद और कार्यालय भवनों के निर्माण आदि के लिए धन की अधिक आवश्यकता के कारण हुई है।

(ग) एमएच 4216- इस शीर्ष में 400.00 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है जो कुल अनुदान (2205.00 करोड़) का 18.14 प्रतिशत है। 'एमएच 4216' में वित्त वर्ष 2022-23 के संशोधित अनुमान (265.00 करोड़ रुपये) की तुलना में 50.94% की वृद्धि हुई है। वृद्धि मुख्य रूप से सीबीआईसी के आवासीय सुविधाओं की ढांचागत परियोजनाओं जैसे आवासीय भूमि की खरीद और आवासीय भवनों के निर्माण आदि के लिए धन की अधिक आवश्यकता के कारण है।

वर्ष 2023-24 के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर संग्रहण हेतु निर्धारित लक्ष्य तथा विगत तीन वित्तीय वर्ष अर्थात 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 के दौरान प्राप्त लक्ष्य।

अनुदान की मांग संख्या - 36 प्रत्यक्ष कर

(आंकड़े करोड़ रु. में)

वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	प्रत्यक्ष कर संग्रह (निवल)
2020-21	13,19,000.00	9,05,000.00	9,47,176.37#
2021-22	11,08,000.00	12,50,000.00	14,12,422.45#
2022-23* (31/12/2022 तक)	14,20,000.00	16,50,000.00	12,52,753.43#
2023-24$	18,23,250.00	-	-

स्रोत: # प्राप्ति बजट एवं प्रधान सीसीए, सीबीडीटी

* प्रधान सीसीए (सीबीडीटी) फ्लैश फिगर (31/12/2022)

$ बजट अनुमान 2023 -24 के लिए निर्धारित लक्ष्य

अनुदान की मांग संख्या - 37 अप्रत्यक्ष कर

(करोड़ रुपए में)

	वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए संशोधित लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2020-21के लिए वास्तविक संग्रह	वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए संशोधित लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2021-22के लिए वास्तविक संग्रह	वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए संशोधित लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वास्तविक संग्रह	वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए निर्धारित लक्ष्य (ब.अ.)
सीमा शुल्क	1,12,000	1,34,750	1,89,000	1,99,728	2,10,000	1,60,739	2,33,100
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	3,61,000	3,89,667	3,94,000	3,90,808	3,20,000	2,43,384	3,39,000
राज्य कर (बकाया)	1,400	1,615	1,000	1,012	1,000	139	500
कुल (गैर-जीएसटी)	**4,74,400**	**5,26,032**	**5,84,000**	**5,91,548**	**5,31,000**	**4,04,263**	**5,72,600**
सीजीएसटी	4,31,000	4,56,334	5,70,000	5,91,226	7,24,000	5,32,193	8,11,600
आईजीएसटी	-	7,251	-	2,119	-	142	-
जीएसटी-कॉम्प. उपकर	84,100	85,192	1,05,000	1,04,769	1,30,000	93,408	1,45,000
कुल (जीएसटी)	**5,15,100**	**5,48,777**	**6,75,000**	**6,98,114**	**8,54,000**	**6,25,744**	**9,56,600**
कुल निवल [जीएसटी+गैर-	**9,89,500**	**10,74,810**	**12,59,000**	**12,89,662**	**13,85,000**	**10,30,007**	**15,29,200**

जीएसटी]							

चार. माल एवं सेवा कर (जीएसटी)

4.1 देश में माल एवं सेवा कर व्यवस्था को शुरू करना भारत के अप्रत्यक्ष कर सुधारों के क्षेत्र में होने वाला एक महत्वपूर्ण कदम था। बड़ी संख्या में केंद्रीय एवं राज्यीय करों को एकल कर में बदलने का लक्ष्य प्रमुख तौर पर कैसकेडिंग को दूर करने या दोहरे कराधान को दूर करने तथा समान राष्ट्रीय बाजार हेतु मार्ग प्रशस्त करना था। देश में जीएसटी व्यवस्था को शुरू करने से पहले राज्य वित्त मंत्रालयों की अधिकार प्राप्त समिति, राज्य सभा की प्रवर समिति और संसदीय वित्त स्थायी समिति द्वारा मामले पर विस्तार से चर्चा की गई। लंबी और विस्तृत चर्चा के उपरांत, संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम को 50 प्रतिशत राज्यों द्वारा अनुसमर्थन के बाद राष्ट्रपति द्वारा 08 सितंबर, 2016 को सहमति प्राप्त हुई। तत्पश्चात् केंद्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी) अधिनियम, एकीकृत माल एवं सेवाकर (आईजीएसटी) अधिनियम, संघ राज्य क्षेत्रीय माल एवं सेवा कर (यूटीजीएसटी) अधिनियम और माल एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम को अधिनियमित किया गया ताकि जीएसटी व्यवस्था को 01 जुलाई, 2017 से सफलतापूर्वक शुरू किया जा सके।

4.2 संघ राज्यक्षेत्रीय माल एवं सेवा कर (यूटीजीएसटी):-

जिस प्रकार राज्य माल एवं सेवा कर (एसजीएसटी) अधिनियम जिसे संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विधायी के साथ अधिनियमित किया गया है ताकि संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अन्दर के सभी लेन-देनों पर कर की उगाही और संग्रहण किया जा सके उसी प्रकार संघ राज्य क्षेत्रीय माल एवं सेवा कर (यूटीजीएसटी) अधिनियम, 2017 को विशिष्ट रूप से गैर विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों जैसे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा एवं नागर हवेली, दमन और दीव और चंडीगढ़ में अधिनियमित किया गया ताकि जीएसटी की उगाही एवं संग्रहण किया जा सके।

4.3 विभिन्न राज्यों द्वारा अलग-अलग हुए/रिपोर्ट किए गए राजस्व हानि की राशि और भुगतान किए गए मुआवजे की सीमा।

जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 की धारा 7 के अनुसार, जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण राजस्व की हानि के लिए उक्त अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत राज्यों को कुछ लक्जरी वस्तुओं और वर्जित वस्तुओं पर लगाए जाने वाले जीएसटी मुआवजा उपकर की आय से मुआवजा दिया जाना आवश्यक है। जीएसटी (राज्य को मुआवजा) अधिनियम, 2017 की धारा 10 (1) के प्रावधानों के अनुसार, जीएसटी मुआवजा उपकर को भारत के सार्वजनिक खाते में जीएसटी मुआवजा कोष के रूप में ज्ञात ग-व्यपगत निधि में जमा किया गया है। उक्त अधिनियम, 2017 की धारा 10(2) यह प्रावधान करती है कि जीएसटी क्षतिपूर्ति का भुगतान क्षतिपूर्ति निधि से किया जाएगा।

तदनुसार, अनंतिम द्वि-मासिक जीएसटी मुआवजा जो उस वर्ष के संरक्षित राजस्व के संबंध में किसी विशेष वर्ष के लिए राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों के राजस्व में कमी के बराबर है (2015-16 के आधार वर्ष राजस्व पर 14% चक्रवृद्धि विकास दर के साथ गणना) है की गणना की जा रही है और 01.07.2017 से राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को जारी किया जा रहा है।

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ₹1.10 लाख करोड़ रुपए और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 1.59 लाख करोड़ रुपए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जीएसटी मुआवजे के एवज में बैक-टू-बैक ऋण के रूप में जारी किए जाने को ध्यान में रखते हुए, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों प्रदेशों का संपूर्ण जीएसटी मुआवजा बकाया के अनुसार जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 के प्रावधान को केंद्र सरकार द्वारा 31.05.2022 तक की अवधि के लिए मंजूरी दे दी गई है। 2022-23 के दौरान, केंद्र सरकार ने मई 2022 में 62,000 करोड़ रुपए की सीमा तक और नवंबर 2022 में फिर से 17,000 करोड़ रुपये आंशिक रूप से जून, 2022 के मुआवजे को पूरा करने के लिए, राज्यों को उनके संसाधनों के प्रबंधन में सहायता करने के लिए स्वयं के संसाधनों से आवश्यक शेष राशि को पूरा करके, क्षतिपूर्ति निधि में अपर्याप्त राशि के बावजूद 31.05.2022 तक पूर्ण मुआवजा जारी किया, तदनुसार, 01.07.2017 से 30.6.2022 तक की अवधि के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जारी अनंतिम जीएसटी मुआवजा अनुबंध ग में दिए गए विवरण के अनुसार है। इसके अलावा, 16982 करोड़ रु. की शेष राशि 22.02.2023 को भी जारी किए गए हैं। ऐसी राशि को जारी करने के साथ केंद्र ने (राज्यों के लिए मुआवजा) अधिनियम, 2017 में परिकल्पित रूप से 5 वर्षों के लिए संपूर्ण अनंतिम रूप से मुआवजे को मंजूरी दी है।

4.4 वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान और चालू वित्त वर्ष के दौरान 31 दिसंबर तक माह-वार जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) संग्रह की मात्रा; इनपुट टैक्स क्रेडिट; रिफंड और शुद्ध संग्रह।

माह-वार रिफंड और निवल संग्रह से संबंधित वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 31 दिसंबर, 2022 तक जीएसटी नीचे दिया गया है:

राशि करोड़ रुपये में

महीना	केंद्र का कुल जीएसटी संग्रह [सीजीएसटी+आईजीएसटी+ जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर]			
	धनवापसी		निवल	
	वित्त वर्ष 2021-22 [P]	वित्त वर्ष 2022-23 [P]	वित्त वर्ष 2021-22 [P]	वित्त वर्ष 2022-23 [P]
अप्रैल	12,516	12,830	69,433	85,873
मई	14,128	20,497	52,518	64,816
जून	9,623	14,350	46,638	59,775

जुलाई	12,905	15,662	51,699	72,910
अगस्त	10,160	16,107	45,604	70,739
सितम्बर	12,371	13,064	55,234	74,620
अक्टूबर	13,133	11,213	65,737	63,125
नवंबर	13,755	19,391	65,917	65,592
दिसम्बर	9,618	16,222	70,003	68,294
जनवरी	14,906		51,209	
फ़रवरी	13,687		66,172	
मार्च	14,581		59,074	
अप्रैल-मार्च	**1,51,384**	**1,39,336**	**6,99,239**	**6,25,744**

स्रोत: PrCCA, CBIC; [पी]: अनंतिम

नोट: उपरोक्त निवल आंकड़े वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पावती बजट 2023-24 के संबंध में आईजीएसटी में 1,125 करोड़ रु का अंतर दिखाते हैं।

प्रयुक्त आईटीसी (करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	महीना	आईटीसी का उपयोग किया
2021-22	अप्रैल -21	2,70,713.87
	मई -21	2,14,644.73
	जून -21	3,19,062.46
	जुलाई-21	3,15,656.82
	अगस्त-21	3,20,907.99
	सितम्बर -21	3,77,254.14
	अक्टूबर -21	3,65,560.96
	नवंबर -21	3,18,537.24
	दिसंबर-21	4,09,470.12
	जनवरी -22	3,53,915.30
	फरवरी-22	3,55,960.36
	मार्च-22	5,23,452.76
	कुल	**41,45,136.75**
2022-23	अप्रैल -22	3,70,926.64
	मई -22	3,76,303.25
	जून-22	4,29,780.11
	जुलाई-22	3,84,203.71
	अगस्त-22	3,82,773.14
	सितम्बर 22	4,68,421.88
	अक्टूबर -22	3,89,283.11

	नवम्बर-22	3,86,724.01
	दिसम्बर-22	4,60,619.68
	कुल	**36,49,035.53**

वित्त वर्ष *2020-21*, वित्त वर्ष *2021-22* और चालू वित्त वर्ष में करों के लीकेज/चोरी को रोकने के लिए उठाए गए कदमों और वहां पाए गए कर की मात्रा के बारे में पूछे जाने पर, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) ने अपने लिखित उत्तर में प्रस्तुत किया है कि:

"क. केंद्रीय जीएसटी क्षेत्रीय कार्यालय ने इंटेलिजेंस और व्यापक डेटा एनालिटिक्स के उपयोग के माध्यम से कर चोरी से जुड़े मामलों का पता लगाने के लिए लगातार प्रयास किए हैं।

ख. राष्ट्रव्यापी विशेष अभियान को नकली/फर्जी इनवॉइस की ताकत पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) पर फर्जी ढंग से लाभ उठाने और पास करने के लिए बेईमान संस्थाओं के खिलाफ चलाया जा रहा है। CBIC ने किंगपिन्स/मास्टरमाइंड्स की गिरफ्तारी से जुड़े धोखाधड़ी आईटीसी के प्रमुख मामलों का पता लगाया है। 09.11.2020 से 07.02.2023 तक की जांच/वसूली का विवरण नीचे उल्लेख किया गया है:

जीएसटी इनवॉइस धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान				
अवधि	बुक किए गए मामलों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	जाली ITC/GST पहचान की गई राशि (करोड़ में)	बरामद राशि (करोड़ में)
9 नवंबर, 2020 से 7 फरवरी, 2023 तक	7628	742	58949.89	3377.76

ग. नकली डीलरों/इनवॉइस के खिलाफ व्यापक निवारक उपायों को सुनिश्चित करने के लिए, CBIC द्वारा बुक किए गए मामलों की जानकारी को GST काउंसिल के माध्यम से SGST अधिकारियों के साथ और FIU-Ind के साथ भी संदिग्ध लेनदेन रिकॉर्ड पर नज़र रखने के लिए साझा किया जाता है, और CBDT के साथ फर्जी व्यय, आदि संबंधित कार्रवाई शुरू करने के लिए कार्रवाई की जाती है।

घ. विभाग करदाताओं की विभिन्न रिपोर्टों के बीच अंतर व्यवहार और विसंगतियों की पहचान करने के लिए डेटा एनालिटिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली-आधारित उपकरणों का उपयोग कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स जैसे कि **नेट्रा** (रिव्यू एक्सप्लोरेशन टूल्स फॉर रेवेन्यू टूल्स), **बीआईएफए** (बिजनेस इंटेलिजेंट एंड फ्रॉड एनालिटिक्स) और **अद्वैत** (अप्रत्यक्ष कराधान में उन्नत एनालिटिक्स) नेटवर्क विश्लेषण के आधार पर जोखिम भरे करदाताओं की पहचान करने के लिए लागू किया गया है।

ङ. डेटा एनालिटिक्स और एआई आधारित टूल्स के उपयोग के साथ **रेड फ्लैग रिपोर्ट्स** GSTN के साथ -साथ विश्लेषण और जोखिम प्रबंधन (DGARM) के महानिदेशालय द्वारा जारी की जा रही हैं, जो कि डिफॉल्टिंग करदाताओं और जोखिम भरे करदाताओं के संबंध में रिटर्न और अन्य के बीच विसंगतियों के रूप में अंतर व्यवहार के साथ हैं और अन्य डेटाबेस, जैसे GSTR-1 और GSTR-3B, GSTR3B और GSTR 2B, GSTR 3B और E-WAY बिल आदि, जो नियमित आधार पर सत्यापन के लिए कर अधिकारियों के साथ साझा किए जा रहे हैं। क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इन रेड फ्लैग की रिपोर्टों पर कार्रवाई के परिणामस्वरूप काफी जांच और वसूली हुई है, और करदाताओं द्वारा समग्र अनुपालन में सुधार हुआ है। इन रेड फ्लैग की रिपोर्टों के आधार पर कार्रवाई के अलावा, रिटर्न स्क्रूटनी की एक जोखिम-आधारित मानकीकृत प्रणाली भी प्रदान की गई है।

च. GSTN के साथ टोल के भुगतान के लिए FASTAG के परिणामस्वरूप टोल आवागमन के डेटा साझाकरण, GSTN के साथ, अब FASTAG डेटा के साथ EWB के सहसंबंध की अनुमति देता है, जो EWB के धोखाधड़ी के दुरुपयोग की पहचान करने में मदद करेगा और नकली इनवॉइस और साथ ही चोरी करने वाले डीलरों का पता लगाने में मदद करेगा।

छ. रिटर्न फाइलिंग में अनुशासन लाने के लिए CGST नियमावली को 01.01.2022 से GSTR-1 के दाखिल करने के लिए प्रतिबंधित/अवरुद्ध करने के लिए 01.01.2022 से संशोधित किया गया है, यदि करदाता पूर्ववर्ती कर अवधि के लिए GSTR-3B रिटर्न को प्रस्तुत करने में विफल रहता है। इसके परिणामस्वरूप GSTR-3B रिटर्न समय पर दाखिल हुआ है और इस प्रकार, सरकार को कर का समय पर भुगतान किया गया है।

ज. कर अवधि के लिए GSTR-3B को दाखिल करने से पहले और GSTR-1 01.10.2022 से अनुक्रमिक फाइलिंग को अनिवार्य करने के लिए भी GSTR-1 को अनिवार्य रूप से दाखिल करने के लिए प्रावधान भी किया गया है।

झ. 01.01.2022 से GSTR-1 में आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत इनपुट टैक्स क्रेडिट को इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्धता को सीमित करने और करदाता के GSTR-2B में प्रकट होने के लिए CGST अधिनियम की धारा 16 और CGST नियमावली की नियम 36 (4) में संशोधन किया गया है।

ञ. इसीओ के माध्यम से की गई आपूर्ति के विवरण की रिपोर्टिंग प्रदान करने के लिए फॉर्म जीएसटी-1 में किए गए संशोधनों को अधिसूचित किया गया है जिसे जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 52 और 9(5) के अंतर्गत आने वाले आपूर्तिकर्ता कवर किया गया है और की गई आपूर्ति के संबंध में इसीओ द्वारा रिपोर्टिंग की गई है।

ट. नियम 88ग और फॉर्म जीएसटी डीआरसी-01ख को सीजीएसटी नियम, 2017 में 26.12.2022 से करदाता को सूचित करने के लिए कॉमन पोर्टल द्वारा फॉर्म जीएसटीआर-1 में और कर अवधि के लिए फॉर्म GSTR-3B में, जहां इस तरह का अंतर एक निर्दिष्ट राशि और/या प्रतिशत से अधिक है, करदाता को या तो अंतर देयता का भुगतान करने या अंतर की व्याख्या करने में सक्षम बनाने के लिए करदाता द्वारा रिपोर्ट की गई देनदारी के बीच अंतर के बारे में बताया गया है इसके अलावा, सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 59 के उप-नियम (6) में खंड (घ) शामिल किया गया है ताकि बाद की कर अवधि के लिए फॉर्म जीएसटीआर-1 की प्रस्तुति को प्रतिबंधित किया जा सके, अगर करदाता ने सूचना में दी गई विनिर्दिष्ट राशि का भुगतान नहीं किया हो और न ही राशि का भुगतान न किए जाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए एक उत्तर प्रस्तुत किया है।

पांच. गत तीन वित्त वर्षों (वर्तमान वित्तीय वर्ष सहित) के दौरान विभिन्न शीर्षों और स्लैबों हेतु किए गए कुल कर संग्रह का ब्यौरा:

<u>प्रत्यक्ष कर:</u>

(सकल आंकड़े) (करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	प्रत्यक्ष कर संग्रह	2020-21 @	2021-22 @	2022-23 # (31.01.2023 तक)
क	आयकर	470216.72	673052.19	699989.67
ख	कारपोरेट कर	457718.97	712037.33	765661.91
ग	प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी)	16926.99	23191.03	19526.75
घ	लाभांश वितरण कर (डीडीटी)*	13035.30	7956.80	10415.80
ङ	धन कर	11.85	12.33	15.21
च	उपहार कर	0.00	0.00	0.70
छ	पूंजीगत लाभ कर			

स्रोत: @प्राप्ति बजट (वास्तविक),

प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (पीआरसीसीए) (सीबीडीटी)

*ओल्टास दिनांक 31.01.2023 तक

नोट 1: *पूंजीगत लाभ कर के संबंध में किसी भी चालान के लिए कोई लघु शीर्ष नहीं रखा जाता है, इसलिए इस संबंध में कोई डेटा उपलब्ध नहीं है।*

(सकल आंकड़े) (करोड़ रुपये में)

क्र.सं	अन्य	2020-21	2021-22	2022-23* (13.02.2023 तक)
1	(क)+(ग) स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) से कर + स्रोत पर एकत्रित कर (टीसीएस)	5,24,300.90	7,07,785.30	8,04,723.30
2	(ख) अग्रिम कर	4,95,152.40	6,82,972.00	5,33,583.90
3	(ग) स्रोत पर एकत्रित कर (टीसीएस) [क्रम संख्या (क) में टीडीएस के साथ प्रदान किया गया।]	-	-	-
4	(घ) जांच आकलन से कर (4+5+6)	42,373	61,659	59,495.90

5	(ङ) अन्य आकलन से कर, यदि कोई हो (ऊपर क्रम संख्या 4 में शामिल)	-	-	-
6	(च) तलाशी और जब्ती से कर (ऊपर क्रम संख्या 4 में शामिल)	-	-	-
7	(छ) क्षमा योजनाओं से कर	6.80	37.30	59.50

स्रोत: ओल्टास और प्रणाली निदेशालय, सीबीडीटी

नोट: *1 क्षमा योजनाओं से कर में आय घोषणा योजना, 2016 [लघु शीर्ष 111], काला धन अधिनियम, 2015 [लघु शीर्ष 108/109] और पीएमजीकेवाई [लघु शीर्ष 112] शामिल हैं*

2. उपरोक्त सभी आंकड़े दिनांक 17.02.2023 को सकल कर संग्रह के आंकड़े हैं।

विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत स्लैब-वार एकत्रित आयकर और निर्धारितियों की संख्या

निर्धारण वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए कर-वार स्लैब संक्षिप्त विवरण **उपबंध क** के अनुसार संलग्न हैं।

अप्रत्यक्ष कर

राशि करोड़ रुपये में

	वित्त वर्ष 2019-20 के लिए वास्तविक संग्रह	**वित्त वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक संग्रह**	**वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वास्तविक संग्रह**	**वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वास्तविक संग्रह (दिसंबर 2022 तक) [पी]**
सीमा शुल्क	1,09,283	1,34,750	1,99,728	1,60,739
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	2,39,452	3,89,667	3,90,808	2,43,384
सेवा कर (बकाया)	6,029	1,615	1,012	139
कुल (गैर-जीएसटी)	**3,54,764**	**5,26,032**	**5,91,548**	**4,04,263**
सीजीएसटी	4,94,071	4,56,334	5,91,226	5,32,193
आईजीएसटी	9,125	7,251	2,119	142
जीएसटी-क्षतिपूर्ति उपकर	95,553	85,192	1,04,769	93,408
कुल (जीएसटी)	**5,98,749**	**5,48,777**	**6,98,114**	**6,25,744**
कुल निवल [जीएसटी+गैर-जीएसटी]	**9,53,513**	**10,74,810**	**12,89,662**	**10,30,007**

स्रोत: प्राप्ति बजट, प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, पीआरसीसीए, सीबीआईसी, *डीजी प्रणाली;* [पी]: अनंतिम

नोट: लेखांकन प्रक्रिया को वित्तीय वर्ष 2021-22 से संशोधित किया गया है, तदनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 से सीमा शुल्क में स्क्रिप के माध्यम से भुगतान किया गया शुल्क भी शामिल है।

छह. पिछले तीन वित्तीय वर्षों (वर्तमान वित्तीय वर्ष सहित) के दौरान की गई तलाशियों, जब्तियों और सर्वेक्षणों की क्षेत्र-वार संख्या

प्रत्यक्ष कर:

आयकर विभाग विभिन्न क्षेत्रों में विविध व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न कंपनियों सहित व्यक्तियों के मामलों में तलाशी और जब्ती क्रियाकलाप चलाता है। चालू वित्त वर्ष (दिसंबर, 2022 तक) सहित पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए तलाशी और जब्ती की कार्रवाई के आंकड़े इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	तलाशी लिए गए समूहों की संख्या	कुल जब्ती (करोड़ रुपये में)
1	2020-21	569	880.83
2	2021-22	686	1159.59
3	2022-23* (दिसंबर 2022 तक)	526	1405.90

*आंकड़े अनंतिम हैं

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 133ए के अंतर्गत सर्वेक्षण प्रासंगिक कर प्रावधानों के साथ एक निर्धारिती के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए आयकर विभाग के पास उपलब्ध प्रवर्तन उपकरण है, आवश्यक प्रतिरोध पैदा करता है और स्वैच्छिक अनुपालन का माहौल भी बनाता है। चालू वित्त वर्ष (दिसंबर, 2022 तक) सहित पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान किए गए तलाशी और कार्रवाइयों के संबंध में आंकड़े निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	सर्वेक्षणों की संख्या
1	2020-21	426
2	2021-22	1046
3	2022-23 (दिसंबर 2022 तक)	664

यह भी उल्लेख किया जाता है कि तलाशी और जब्ती और सर्वेक्षणों का क्षेत्रवार विवरण अलग से नहीं रखा जाता है।

वास्तविक और अंतिम कर वसूली के विवरण के संबंध में, यह कहा गया है कि आयकर विभाग बेहिसाब धन की निगरानी और कर चोरी को रोकने के लिए कई दंडात्मक और निवारक कदम उठाता है। इनमें रिटर्न की जांच, सर्वेक्षण, तलाशी और जब्ती की कार्रवाई, जुर्माना लगाना और उपयुक्त मामलों में अभियोजन शुरू करना शामिल है। आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत, जाँच एक मूल्यांकन/पुनर्मूल्यांकन में समाप्त होती है, जो अपील का विषय है। निरपवाद रूप से, कई मामलों में मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर निर्धारिती/विभाग या दोनों द्वारा अपीलों को तरजीह दी जाती है। अपीलें अक्सर उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचती हैं। जांच के अंतिम परिणाम तभी ज्ञात हो सकते हैं जब अपील आदि को अंतिम रूप दिया जाता है और मामला अपीलीय पदानुक्रम में आगे नहीं बढ़ता है। उपरोक्त को देखते हुए, जब तक सभी अर्ध-न्यायिक और न्यायिक कार्यवाहियों को अंतिम रूप नहीं दिया जाता है, तब तक की गई तलाशी कार्रवाइयों से कर संग्रह की मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

<u>अप्रत्यक्ष कर</u>

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान की गई तलाशियों, जब्तियों और सर्वेक्षणों की प्रमात्रा नीचे दी गई है:

जीएसटी अपराध के मामलों की कुल संख्या				
अवधि: 2020-21 से 2022 -23 (नवंबर 2022 तक)				
अवधि	मामलों की संख्या	पता लगाए गए (करोड़ रुपए में)	वसूली (करोड़ रुपए में)	गिरफ्तारी की संख्या
2020-21	12596	49383.96	12235.00	460
2021-22	12574	73237.65	25156.53	342
2022-23 (22 नवंबर तक)	8960	76515.09	21084.64	131

सीमा शुल्क अपराध के मामलों की कुल संख्या				
अवधि: 2020-21 से 2022 -23 (जनवरी 2023 तक)				
अवधि	मामलों की संख्या	पता लगाए गए (करोड़ रुपए में)	वसूली (करोड़ रुपए में)	गिरफ्तारियों की संख्या
2020-21	14446	12935.88	2613.92	1770
2021-22	15801	45931.08	3486.27	2224
2022-23 (23 जनवरी तक)	16361	23494.4	2235.94	2031

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपराध के मामलों की कुल संख्या			
अवधि: 2020-21 से 2022 -23 (नवंबर 2022 तक)			
अवधि	मामलों की संख्या	पता सगाए गए (करोड़ रुपए में)	वसूली (करोड़ रुपए में)
2020-21	233	1827.53	111.57
2021-22	108	918.64	139.02
2022-23 (22 नवंबर तक)	27	566.02	26.22

सेवा कर अपराध के मामलों की कुल संख्या			
अवधि: 2020-21 से 2022 -23 (नवंबर 2022 तक)			
अवधि	मामलों की संख्या	पता लगाए गए (करोड़ रुपए में)	वसूली (करोड़ रुपए में)
2020-21	9643	17900.50	704.11
2021-22	2263	20652.34	260.18
2022-23 (22 नवंबर तक)	443	843.62	47.99

सात पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान विभिन्न मंचों/न्यायालय में लंबित अवधि सहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के मामलों की संख्या (क्रमशः मामलों की संख्या और राशि)

<u>प्रत्यक्ष कर:</u>

वर्ष	फोरम	विभागीय अपीलें	पार्टी की अपीलें	कुल

		संख्या	प्रमात्रा	संख्या	प्रमात्रा	संख्या	प्रमात्रा
2019-20	उच्चतम न्यायालय	4831	26281.79	646	1048.62	5477	27330.41
	उच्च न्यायालय	24886	299534.25	6936	9703.32	31822	309237.57
	आईटीएटी	16058	175130.6	15230	92293.07	31288	267423.68
	सीआईटी(क)					457808	883330.89
2020-21	उच्चतम न्यायालय	3442	24468.81	602	805.94	4044	25274.75
	उच्च न्यायालय	20133	268376.14	6311	6953.11	26444	275329.25
	आईटीएटी	13606	175549.64	13726	94488.96	27332	270038.60
	सीआईटी(क)					448992	2452300.69
2021-22	उच्चतम न्यायालय	3531	26739.94	577	995.82	4108	27735.77
	उच्च न्यायालय	22205	314899.83	7558	16345.39	29763	331245.22
	आईटीएटी	12910	186239.29	13902	118847.57	26812	305086.86
	सीआईटी (क)					502111	1418631.34

स्रोत: आर एंड एस, सीआईटी द्वारा अपीलों की मासिक निपटान रिपोर्ट और आईटीएटी/एचसी/एससी के समक्ष लिखी गई अपीलों की तिमाही प्रगति रिपोर्ट।

अप्रत्यक्ष कर

वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 की जानकारी अनुबंध ख के रूप में संलग्न है।

31 अगस्त, 2022 तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों दोनों के संबंध में (क) संग्रहणीय बकाया (ख) एकत्र करने में मुश्किल वाले बकाया की मात्रा के बारे में पूछे जाने पर राजस्व विभाग ने निम्नवत् उत्तर दिया:

"प्रत्यक्ष कर:

निम्नलिखित डेटा अगस्त, 2022 की सीएपी-I रिपोर्ट से लिया गया है

क) 31.08.2022 को संग्रह के लिए कुल बकाया मांग: 22,15,956 करोड़ रुपये।

ख) उपरोक्त में से कुल मांग की वसूली करना कठिनः. 21,42,486 करोड़ रु।

ग) 31.08.2022 को शुद्ध संग्रहणीय बकाया मांग 73,470 करोड़ रु.।

अप्रत्यक्ष कर:

जानकारी **अनुबंध घ** पर है।"

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संबंध में लंबित मामलों (मंच/चरण-वार लंबित) की औसत अवधि

संग्रहणीय मांग के लंबित होने की औसत समय-सीमा और मांग को पुनर्प्राप्त करने की समस्या CAP-I रिपोर्ट में शामिल नहीं की गई है। हालांकि, विवादित और गैर-विवादास्पद मांग का समय-सीमावार विश्लेषण जैसा कि मिलान किया गया है, निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है:

कर राजस्व बढ़ा लेकिन वसूल नहीं हुआ	>1 वर्ष और <=2 वर्ष	>2 वर्ष और <=5 वर्ष	>5 वर्ष और <=10 वर्ष	> 10 वर्ष	कुल
विवादित मांग	723279.99	406535.40	53064. 86	27384. 63	1210264.87
मांग विवाद के अंतर्गत नहीं है	495067.69	190702.36	119318.57	134074.24	939162. 85
कुल कर राजस्व वसूल नहीं हुआ	1218347.68	597237.75	172383.43	161458. 87	2149427.72

टिप्पणी: *एक वर्ष से कम विवादित/गैर-विवादित रुकी हुई बकाया मांग की लंबितता का पता नहीं लगाया है और इसलिए इसे तालिका में शामिल नहीं किया गया है तथा इस कारण कुल राजस्व के आंकड़ों में भिन्नता हुई है और बिंदु 7(i) के भाग (क) के* ***उत्तर*** *का कुल बकाया मांग के आंकड़ों के साथ नहीं मिला है।*

अप्रत्यक्ष कर:

जानकारी **अनुबंध घ पर है।**

आठ. (प्रत्यक्ष करों के संबंध में) करदाताओं के लिए शिकायत निवारण तंत्र

इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित पहलें की गई हैं:

i. **करदाता सुविधा और सहायता:** दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग (एआरसी) की 12वीं रिपोर्ट का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, आधुनिक प्रौद्योगिकी की सहायता से नागरिकों पर केंद्रित शासन है। आयकर सेवा केंद्र (एएसके) की स्थापना इसी दिशा में एक कदम है। एएसके की स्थापना ' सेवोत्तम ' के अंतर्गत की गई थी जो सार्वजनिक सेवा प्रदानगी में उत्कृष्टता स्थापित करने की अवधारणा है । एएसके विभिन्न आयकर कार्यालयों में रिटर्न, आवेदनों, शिकायतों और डाक के वितरण की केंद्रीकृत प्राप्ति के लिए कम्प्यूटरीकृत सेवा प्रदान करने के लिए एक एकल खिड़की तंत्र है। एएसके में प्राप्त सभी संचार के साथ-साथ रिटर्न समय पर निपटान का आदेश देते हैं जिसकी निगरानी और समीक्षा की जा सकती है।

आयकर संपर्क केंद्र जो कि एक राष्ट्रीय कॉल सेंटर है और ऐसे 4 क्षेत्रीय कॉल सेंटर स्थापित किए गए हैं जो कि कर संबंधी प्रश्नों की जानकारी देने के लिए सोमवार से शनिवार तक सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक चालू रहता है। इसके अलावा, बेंगलुरू में सीपीसी-आईटीआर, वैशाली में सीपीसी-टीडीएस और विशिष्ट मुद्दों के समाधान के लिए ई-फिलिंग सुविधा में भी अलग कॉल सेंटर स्थापित किए गए हैं।

ii. **ई- निवारण :** बेहतर शिकायत निवारण सुनिश्चित करने के लिए, आयकर विभाग में ई- निवारण नामक एक विशेष इलेक्ट्रॉनिक शिकायत निवारण प्रणाली कार्यात्मक है। करदाता गलत कर मांग, रिफंड आदि से संबंधित मुद्दों के निवारण के लिए इस मंच का लाभ उठाता है। यह विभाग द्वारा प्राप्त सभी ऑनलाइन

और कागजी शिकायतों को एकीकृत करता है, जिन पर संबंधित अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षी अधिकारियों तक द्वारा निगरानी की जाती है।

iii. **पारदर्शी कराधान:** ईमानदार का सम्मान: "ईमानदार का सम्मान" शीर्षक वाला एक 'पारदर्शी कराधान' मंच 2020 में लॉन्च किया गया था। इस मंच में फेसलेस मूल्यांकन, फेसलेस अपील और करदाता का चार्टर शामिल था। ऐसे सुधार देश के 'ईमानदार' करदाताओं को सम्मानित करने और कर प्रणाली को 'सीमलेस, फेसलेस और पेनलेस' बनाने के सरकार के प्रयास का हिस्सा हैं ।

iv. **करदाताओं का चार्टर:** करदाताओं का चार्टर करदाताओं के प्रति आयकर विभाग की जिम्मेदारियों को प्रदान करता है और करदाताओं के कर्तव्यों को भी सूचीबद्ध करता है। धारा 119क को अब वित्त विधेयक, 2020 के माध्यम से अधिनियम में शामिल किया गया है ताकि सीबीडीटी को करदाता के चार्टर को अपनाने और घोषित करने और आईटी अधिकारियों को आदेश, और निर्देश या दिशानिर्देश जारी करने का अधिकार प्राप्त हो सके।

v. **आयकर सेतु :** स्मार्ट फोन का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। करदाता सेवाओं और मोबाइल एक्सेस अनुभव को बढ़ाने के उद्देश्य से, एक मोबाइल ऐप (एंड्रॉइड/आईओएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध) जिसे " आयकर सेतु " कहा जाता है जिसे 2017 में लॉन्च किया गया था, जो राष्ट्रीय वेबसाइट पर करदाता सेवा (टीपीएस) अनुभाग का उत्तरदायी संस्करण है। " आयकर सेतु "करों के ऑनलाइन भुगतान, करों की गणना, ई- निवारण मॉड्यूल में लॉगिन के माध्यम से शिकायतों को दूर करने, टीपीएस पदानुक्रम के बारे में जानकारी, एएसके आईटी मॉड्यूल, कर ज्ञान , टीडीएस/ट्रेसेस और अन्य फीचर्स की सुविधा प्रदान करेगा।

vi. प्रत्येक प्रधान आयकर आयुक्त के क्षेत्र में हाई पिच्ड असेसमेंट से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए स्थानीय समितियां गठित की गई हैं।

अनुबंध क

क्रम सं	निर्धारण वर्ष		आईटीआर भरने वालों की कुल संख्या (आईटीआर-1/2/3/4/5/6/7)	वेतन/पेंशन से आय(>0)	मकान संपत्ति से आय (शून्येतर राशि)	एचयूएफ_काउंट (पैन श्रेणी एचयूएफ है)	व्यापार/पेशे से आय (>0)	पेशा (व्यापार की प्रकृति पेशेवर है)	प्रकल्पित(व्यापार से प्राप्त आय सहित प्रस्तुतआईटीआर-4 > 0)
			कुल आईटीआर	वेतन काउंट	एचपी काउंट	एचयूएफ काउंट	व्यापार काउंट	पेशा काउंट	आईटीआर 4 _प्रकल्पित काउंट
	(a)		(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
1	2019-20	अदा किया कुल कर >= 0 और<= 3 लाख	6,64,48,706	3,12,44,765	89,98,288	11,71,697	2,89,16,782	9,57,270	1,69,11,052
2	2019-20	अदा किया कुल कर > 3 लाख और<= 5 लाख	11,78,877	7,84,632	4,04,544	13,491	3,84,714	29,500	48,491
3	2019-20	अदा किया कुल कर > 5 लाखऔर<= 10 लाख	9,79,595	6,43,017	3,43,611	9,245	3,33,200	28,941	24,518
4	2019-20	अदा किया कुल कर > 10 लाख और<= 20 लाख	4,22,183	2,38,194	1,23,069	3,889	1,76,779	17,770	4,453
5	2019-20	अदा किया कुल कर > 20 लाख और<= 50 लाख	2,35,552	1,14,752	61,106	2,006	1,13,117	12,196	64

6	2019-20	अदा किया कुल कर > 50 लाख और<= 100 लाख	69,398	27,660	18,700	435	38,189	3,888	8
7	2019-20	अदा किया कुल कर > 100 लाख	59,943	13,628	14,364	264	40,252	3,186	2
			6,93,94,254	**3,30,66,648**	**99,63,682**	**12,01,027**	**3,00,03,033**	**10,52,751**	**1,69,88,588**

विभिन्न शीर्षों के तहत स्लैब-वार एकत्रित आयकर तथा निर्धारितियों की संख्या की गणना करते समयनिम्नलिखित विचार किए जाते हैं।

1. यदि किसी निर्धारिती ने आईटीआर में वेतन और मकान संपत्ति दोनों से आय की घोषणा की है, (घ) और (ड.) दोनों में इसकी अलग अलग गणना की गई है।

3. मकान संपत्ति(ड.)केमामले में,सकारात्मक और नकारात्मक दोनों राशियों की गणना की गई है

4. काउंट की गणना में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार किया जाता है:

(क) वेतन काउंट	आईटीआर की संख्या -1/2/3/4 वेतन आय सहित> 0.
(ख) एचपी आय काउंट	मकान संपत्ति से प्राप्त आय सहित आई टी आर की संख्या <> 0.
(ग) एचयूएफ काउंट	एचयूएफ द्वारा जमा की गई आईटीआर की संख्या (पैन का चौथा अक्षर 'एच' है)
(घ) व्यापार काउंट	व्यापार पेशा सेआय सहित आईटीआर संख्या> 0.
(ड.) प्रकल्पित व्यापार(आईटीआर4) काउंट	व्यापार से आय सहित आईटीआर-4 की संख्या> 0.
(च) पेशा	0601-0607 (पेशेवर) अथवा 16001-16020/16019_1 (पेशा)कोड में व्यापार की प्रकृति सहित -आईटीआर1/2/2A/3/4/4S की संख्या -

क्रम सं	निर्धारण वर्ष		आईटीआर भरने वालों की कुल संख्या (आईटीआर--1/2/3/4/5/6/7)	वेतन/पेंशन से आय(>0)	मकान संपत्ति से आय (शून्येतर राशि)	एचयूएफ_काउंट (पैन श्रेणी एचयूएफ है)	व्यापार/पेशे से आय (>0)	पेशा (व्यापार की प्रकृति पेशेवर है)	प्रकल्पित(व्यापार से प्राप्त आय सहित प्रस्तुत आईटीआर-4> 0)
			कुल आईटीआर	वेतन काउंट	एचपी काउंट	एचयूएफ काउंट	व्यापार काउंट	पेशा काउंट	आईटीआर 4 _प्रकल्पित काउंट
	(a)		(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
1	2020-21	अदा किया कुल कर >= 0 और<= 3 लाख	6,38,68,597	2,92,24,003	86,49,584	11,71,371	2,85,85,671	8,23,038	1,74,33,184
2	2020-21	अदा किया कुल कर > 3 लाख और<= 5 लाख	12,93,848	8,80,193	4,46,208	14,607	4,00,777	30,301	53,297
3	2020-21	अदा किया कुल कर > 5 लाखऔर<= 10 लाख	10,89,087	7,34,989	3,83,379	9,844	3,50,313	31,157	28,679
4	2020-21	अदा किया कुल कर > 10 लाख और<= 20 लाख	4,65,330	2,71,701	1,35,251	4,143	1,85,892	19,460	5,615
5	2020-21	अदा किया कुल कर > 20 लाख और<= 50 लाख	2,56,209	1,30,385	64,935	2,062	1,17,753	13,359	95
6	2020-21	अदा किया कुल कर > 50 लाख और<= 100 लाख	71,188	28,930	19,108	411	38,088	3,908	7
7	2020-21	अदा किया कुल कर > 100 लाख	63,203	16,160	15,403	276	40,561	3,439	3
			6,71,07,462	**3,12,86,361**	**97,13,868**	**12,02,714**	**2,97,19,055**	**9,24,662**	**1,75,20,880**
31-मई-2021 तक की एवाई 2020-21 की नवीनतम ई-रिटर्न को ध्यान में रखा गया है									

विभिन्न शीर्षों के तहत स्लैब-वार एकत्रित आयकर तथा निर्धारितियों की संख्या की गणना करते समयनिम्नलिखित विचार किए गए

1. यदि किसी निर्धारिती ने आईटीआर में वेतन और मकान संपत्ति से आय की घोषणा की है ,(घ (और) ड. (दोनों में इसकी अलग अलग गणना की गई है।
2. एकल आईटीआर में अनेक प्रकार की आय घोषित किए जाने के कारण कालम (ग) में निर्धारितियों की कुल संख्या शेष कालमों के कुल जोड़ से मेल नहीं खाएगी।
3. मकान संपत्ति)ड(.केमामले में,सकारात्मक और नकारात्मक दोनों राशियों की गणना की गई है
4. काउंट की गणना में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार किया जाता है:

(क) वेतन काउंट	आईटीआर की संख्या -1/2/3/4 वेतन आय सहित> 0.
(ख) एचपी_आय काउंट	मकान संपत्ति से प्राप्त आय के आई टी आर की संख्या <> 0.
(ग) एचयूएफ_काउंट	एचयूएफ द्वारा जमा की गई आईटीआर की संख्या (पैन का चौथा अक्षर 'एच' है)
(घ) व्यापार_काउंट	व्यापार पेशा से आय सहित आईटीआर संख्या>0.
(ड0) प्रकल्पित व्यापार (आईटीआर-4)काउंट	व्यापार से आय सहित आईटीआर -4 की संख्या> 0.
(च) पेशा	0601-0607 (पेशेवर) अथवा 16001-16020/16019_1 (पेशा) केाड में व्यापार की प्रकृति सहित -आईटीआर1/2/2A/3/4/4S की संख्या - आईटीआर की संख्या -1/2/3/4 वेतन आय सहित> 0.

क्रम सं	निर्धारण वर्ष		आईटीआर भरने वालों की कुल संख्या (आईटीआर--1/2/3/4/5/6/7)	वेतन/पेंशन से आय(>0)	मकान संपत्ति से आय (शून्येतर राशि)	एचयूएफ_काउंट (पैन श्रेणी एचयूएफ है)	व्यापार/पेशे से आय (>0)	पेशा (व्यापार की प्रकृति पेशेवर है)	प्रकल्पित(व्यापार से प्राप्त आय सहित प्रस्तुत आईटीआर-4> 0)
			कुल आईटीआर	वेतन काउंट	एचपी काउंट	एचयूएफ काउंट	व्यापार काउंट	पेशा काउंट	आईटीआर 4 _प्रकल्पित काउंट
	(a)		(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
1	2021-22	अदा किया कुल कर >= 0 और<= 3 लाख	6,59,80,297	2,94,67,760	85,87,049	11,93,472	2,98,54,026	1,89,66,748	7,14,730
2	2021-22	अदा किया कुल कर > 3 लाख और<= 5 लाख	13,85,470	9,87,729	4,48,737	14,445	3,85,136	42,587	28,243
3	2021-22	अदा किया कुल कर > 5 लाखऔर<= 10 लाख	11,57,281	8,11,729	3,78,115	9,933	3,45,097	25,020	28,418
4	2021-22	अदा किया कुल कर > 10 लाख और<= 20 लाख	4,85,550	2,98,041	1,31,786	4,152	1,83,353	4,462	17,650
5	2021-22	अदा किया कुल कर > 20 लाख और<= 50 लाख	2,60,541	1,39,091	63,528	2,136	1,16,357	135	12,292
6	2021-22	अदा किया कुल कर > 50 लाख और<= 100 लाख	72,069	30,860	19,025	474	38,024	7	3,513
7	2021-22	अदा किया कुल कर > 100 लाख	65,431	16,882	15,173	293	41,443	-	3,124
			6,94,06,639	3,17,52,092	96,43,413	12,24,905	3,09,63,436	1,90,38,959	8,07,970
31-दिसंबर-2022 तक की एवाई 2021-22 की नवीनतम ई-रिटर्न को ध्यान में रखा गया है									

विभिन्न शीर्षों के तहत स्लैब-वार एकत्रित आयकर तथा निर्धारितियों की संख्या की गणना करते समयनिम्नलिखित विचार किए गए

1) यदि किसी निर्धारिती ने आईटीआर में वेतन और मकान संपत्ति दोनों से आय की घोषणा की है ,(घ (और) ड. (दोनों में इसकी अलग अलग गणना की गई है।
2) एकल आईटीआर में अनेक प्रकार की आय घोषित किए जाने के कारण कालम (ग) में निर्धारितियों की कुल संख्या शेष कालमों के कुल जोड़ से मेल नहीं खाएगी।
3) मकान संपत्ति)ड(.केमामले में,सकारात्मक और नकारात्मक दोनों राशियों की गणना की गई है
4) काउंट की गणना में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार किया जाता है:

(क) वेतन काउंट	आईटीआर की संख्या -1/2/3/4 वेतन आय सहित> 0.
(ख) एचपी आय काउंट	मकान संपत्ति से प्राप्त आय सहित आई टी आर की संख्या <> 0.
(ग) एचयूएफ काउंट	एचयूएफ द्वारा जमा की गई आईटीआर की संख्या (पैन का चौथा अक्षर 'एच' है)
(घ) व्यापार काउंट	व्यापार पेशा से कुलआय सहित आईटीआर संख्या> 0.
(ड.) प्रकल्पित व्यापार(आईटीआर4) काउंट	व्यापार से आय सहित आईटीआर-4 की संख्या> 0.
(च) पेशा	0601-0607 (पेशेवर) अथवा 16001-16020/16019_1 (पेशा)कोड में व्यापार की प्रकृति सहित -आईटीआर1/2/2A/3/4/4S की संख्या -

अनुबंध ख

सभी लंबित अपीलें

(31 मार्च 2020 तक)

(करोड़ रुपये में)

केंद्रीय उत्पाद शुल्क

क्र.सं.	फोरम	विभागीय अपील		पार्टी अपील		कुल		लंबन का आयु-वार ब्यौरा				
		संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	एक वर्ष से कम	1-3 साल	3-5 साल	5-10 साल	10 वर्ष से अधिक
1	उच्चतम न्यायालय	810	11008.87	462	2214.56	1272	13223.43	282	281	256	330	123
2	उच्च न्यायालय	1794	10535.15	3138	9064.49	4932	19599.65	1505	1218	576	829	804
3	सीस्टैट	2707	11628.36	19785	62296.31	22492	73924.67	7694	5159	4325	4646	668
4	आयुक्त (अपील)	747	817.55	4516	1691.25	5263	2508.80	3370	1348	296	185	64
	कुल	6058	33989.93	27901	75266.61	33959	109256.54	12851	8006	5453	5990	1659

सेवा कर

क्र.सं.	फोरम	विभागीय अपील		पार्टी अपील		कुल		लंबन का आयु-वार ब्यौरा				
		संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	एक वर्ष से कम	1-3 साल	3-5 साल	5-10 साल	10 वर्ष से अधिक
1	उच्चतम न्यायालय	568	10449.29	381	7468.14	949	17917.43	291	305	156	189	8
2	उच्च न्यायालय	776	5276.28	3667	20025.52	4443	25301.80	1525	1287	521	898	212
3	सीस्टैट	2785	16105.30	23053	93990.48	25838	110095.78	9547	6847	4741	4357	346
4	आयुक्त (अपील)	1168	449.65	7781	4653.46	8949	5103.11	6315	2121	258	249	6
	कुल	5297	32280.51	34882	126137.60	40179	158418.11	17678	10560	5676	5693	572

सीमा शुल्क

क्र.सं.	फोरम	विभागीय अपील		पार्टी अपील		कुल		लंबन का आयु-वार ब्यौरा				
		संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	एक वर्ष से कम	1-3 साल	3-5 साल	5-10 साल	10 वर्ष से अधिक
1	उच्चतम न्यायालय	475	2909.03	396	3182.41	871	6091.44	263	184	175	190	59
2	उच्च न्यायालय	2195	3767.06	3040	4665.21	5235	8432.27	2148	1011	879	659	538
3	सीस्टैट	2695	3313.84	11716	16801.77	14411	20115.60	4803	3752	2901	2531	424
4	आयुक्त (अपील)	696	88.56	10055	1074.32	10751	1162.88	9057	1657	34	3	0
	कुल	6061	10078.48	25207	25723.71	31268	35802.18	16271	6604	3989	3383	1021

जीएसटी												
क्र.सं.	फोरम	विभागीय अपील		पार्टी अपील		कुल		लंबन का आयु-वार ब्यौरा				
		संख्या	मात्रा	संख्या	मात्रा	संख्या	मात्रा	एक वर्ष से कम	1-3 साल	3-5 साल	5-10 साल	10 वर्ष से अधिक
1	उच्चतम न्यायालय	14	6.99	3	8.65	17	15.64	13	4	0	0	0
2	उच्च न्यायालय	58	15.35	1277	3628.72	1335	3644.07	801	534	0	0	0
3	जीएसटीएटी/सीईएसटीएटी	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
4	आयुक्त(अपील)	60	27	161	178	221	204.81	221	0	0	0	0
5	अपर आयुक्त/संयुक्त आयुक्त (अपील)	479	334.71	1485	1626.17	1964	1960.88	1698	266	0	0	0
	कुल	611	384.0044	2926	5441.40	3537	5825.40	2733	804	0	0	0

कुल मिलाकर (के.उ. + सेवा कर + सीमा शुल्क + जीएसटी)												
क्र.सं.	फोरम	विभागीय अपील		पार्टी अपील		कुल		लंबन का आयु-वार ब्यौरा				
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	एक वर्ष से कम	1-3 साल	3-5 साल	5-10 साल	10 वर्ष से अधिक
1	उच्चतम न्यायालय	1867	24374.17	1242	12873.76	3109	37247.93	849	774	587	709	190
2	उच्च न्यायालय	4823	19593.84	11122	37383.95	15945	56977.79	5979	4050	1976	2386	1554
3	सीईएसटीएटी	8187	31047.49	54554	173088.56	62741	204136.05	22044	15758	11967	11534	1438
4	आयुक्त (अपील)	2671	1382.70	22513	7596.89	25184	8979.59	18963	5126	588	437	70
5	अपर आयुक्त/ संयुक्तआयुक्त(अपील)	479	334.71	1485	1626.17	1964	1960.88	1698	266	0	0	0
	कुल	18027	76732.92	90916	232569.32	108943	309302.24	49533	25974	15118	15066	3252

सभी लंबित अपीलें
(31 मार्च 2021 तक)

(करोड़ रुपये में)

केंद्रीय उत्पाद शुल्क

क्र.सं.	फोरम	विभागीय अपील		पार्टी अपील		कुल		लंबन का आयु-वार ब्यौरा				
		संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	एक वर्ष से कम	1-3 साल	3-5 साल	5-10 साल	10 वर्ष से अधिक
1	उच्चतम न्यायालय	647	11699.40	432	2991.17	1079	14690.57	259	256	169	256	139
2	उच्च न्यायालय	2201	10950.23	3340	12109.55	5541	23059.77	1994	1235	565	938	809
3	सीईएसटीएटी	2542	12434.35	17301	58978.98	19843	71413.32	5511	5350	3811	4392	779
4	आयुक्त (अपील)	585	534.13	3192	1415.96	3777	1950.09	1668	1210	468	306	125
	कुल	5975	35618.10	24265	75495.65	30240	111113.75	9432	8051	5013	5892	1852

सेवा कर

क्र.सं.	फोरम	विभागीय अपील		पार्टी अपील		कुल		लंबन का आयु-वार ब्यौरा				
		संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	एक वर्ष से कम	1-3 साल	3-5 साल	5-10 साल	10 वर्ष से अधिक
1	उच्चतम न्यायालय	555	12544.52	388	7845.69	943	20390.21	272	262	178	222	9
2	उच्च न्यायालय	862	8530.95	3562	25269.93	4424	33800.87	1757	1104	631	681	251
3	सीईएसटीएटी	2723	17329.44	20473	91817.77	23196	109147.21	6844	7095	4886	3978	393
4	आयुक्त (अपील)	943	345.41	5604	3571.76	6547	3917.17	3712	1684	789	267	95
	कुल	5083	38750.31	30027	128505.15	35110	167255.46	12585	10145	6484	5148	748

सीमा शुल्क

क्र.सं.	फोरम	विभागीय अपील		पार्टी अपील		कुल		लंबन का आयु-वार ब्यौरा				
		संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	एक वर्ष से कम	1-3 साल	3-5 साल	5-10 साल	10 वर्ष से अधिक
1	उच्चतम न्यायालय	528	3494.05	407	3962.70	935	7456.75	235	220	186	229	65
2	उच्च न्यायालय	2311	4027.72	3380	5941.42	5691	9969.14	2052	1219	1013	800	607
3	सीईएसटीएटी	2981	3606.56	12037	17434.19	15018	21040.75	4635	4273	3083	2611	416
4	आयुक्त (अपील)	518	224.92	12978	1285.67	13496	1510.60	10594	2822	75	4	1
	कुल	6338	11353.25	28802	28623.99	35140	39977.24	17516	8534	4357	3644	1089

जीएसटी

क्र.सं.	फोरम	विभागीय अपील		पार्टी अपील		कुल		लंबन का आयु-वार ब्यौरा				
		संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	एक वर्ष से कम	1-3 साल	3-5 साल	5-10 साल	10 वर्ष से अधिक
1	उच्चतम न्यायालय	187	987.58	13	24.64	200	1012.22	125	74	1	0	0
2	उच्च न्यायालय	45	13.45	2104	4329.95	2149	4343.40	1051	1062	36	0	0
3	जीएसटीएटी/सीईएसटीएटी	0	0	2	0.04	2	0.04	2	0	0	0	0
4	आयुक्त (अपील)	11	19	141	133	152	152	141	11	0	0	0
5	अपर आयुक्त/ संयुक्तआयुक्त(अपील)	230	286.26	2751	1641.07	2981	1927.33	2821	159	1	0	0
	कुल	473	1306.42	5011	6128.61	5484	7435.03	4140	1306	38	0	0

समग्र (सी.शु.उत्पाद + सेवा कर + सीमा शुल्क + जीएसटी)

क्र.सं.	फोरम	विभागीय अपील		पार्टी अपील		कुल		लंबन का आयु-वार ब्यौरा				
		संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	एक वर्ष से कम	1-3 साल	3-5 साल	5-10 साल	10 वर्ष से अधिक
1	उच्चतम न्यायालय	1917	28725.55	1240	14824.20	3157	43549.75	891	812	534	707	213
2	उच्च न्यायालय	5419	23522.34	12386	47650.85	17805	71173.18	6854	4620	2245	2419	1667
3	सीईएसटीएटी	8246	33370.34	49813	168230.98	58059	201601.32	16992	16718	11780	10981	1588
4	आयुक्त (अपील)	2057	1123.59	21915	6406.30	23972	7529.90	16115	5727	1332	577	221
5	अपर आयुक्त/ संयुक्तआयुक्त(अपील)	230	286.26	2751	1641.07	2981	1927.33	2821	159	1	0	0
	कुल	17869	87028.09	88105	238753.40	105974	325781.48	43673	28036	15892	14684	3689

सभी लंबित अपीलें

(31 मार्च 2022 तक)

(करोड़ रुपये में)

केंद्रीय उत्पाद शुल्क

क्र.सं.		विभागीय अपील	पार्टी अपील	कुल	लंबन का आयु-वार ब्यौरा

	फोरम	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	एक वर्ष से कम	1-3 साल	3-5 साल	5-10 साल	10 वर्ष से अधिक
1	उच्चतम न्यायालय	659	12701.82	405	2951.05	1064	15652.87	207	243	203	255	156
2	उच्च न्यायालय	2729	12368.76	3127	10382.68	5856	22751.44	2289	1126	644	922	875
3	सीईएसटीएटी	2338	12131.77	15953	62321.04	18291	74452.81	4838	4723	3442	4602	686
4	आयुक्त (अपील)	412	540.54	2819	1537.86	3231	2078.40	1786	636	445	246	118
	कुल	6138	37742.88	22304	77192.63	28442	114935.51	9120	6728	4734	6025	1835

<u>सेवा कर</u>

क्र.सं.	फोरम	विभागीय अपील		पार्टी अपील		कुल		लंबन का आयु-वार ब्यौरा				
		संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	एक वर्ष से कम	1-3 साल	3-5 साल	5-10 साल	10 वर्ष से अधिक
1	उच्चतम न्यायालय	524	14789.96	352	7662.16	876	22452.12	221	229	163	234	29
2	उच्च न्यायालय	880	10537.65	3646	33386.08	4526	43923.73	1792	1183	611	673	267
3	सीईएसटीएटी	2834	20851.67	20158	96936.25	22992	117787.92	6540	6325	4940	4597	590
4	आयुक्त (अपील)	1111	525.88	7063	3428.69	8174	3954.57	5473	1331	986	320	64
	कुल	5349	46705.15	31219	141413.18	36568	188118.34	14026	9068	6700	5824	950

<u>सीमा शुल्क</u>

क्र.सं.	फोरम	विभागीय अपील		पार्टी अपील		कुल		लंबन का आयु-वार ब्यौरा				
		संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	एक वर्ष से कम	1-3 साल	3-5 साल	5-10 साल	10 वर्ष से अधिक
1	उच्चतम न्यायालय	577	3662.79	403	3965.89	980	7628.68	237	220	176	212	135
2	उच्च न्यायालय	2284	3844.24	3954	12737.60	6238	16581.84	2302	1416	1071	766	683
3	सीईएसटीएटी	3034	3869.57	13642	20359.45	16676	24229.02	5243	4890	3180	2947	416
4	आयुक्त (अपील)	561	243.32	15208	1919.20	15769	2162.52	12423	3184	142	20	0
	कुल	6456	11619.92	33207	38982.14	39663	50602.06	20205	9710	4569	3945	1234

जीएसटी

क्र.सं.	फोरम	विभागीय अपील		पार्टी अपील		कुल		लंबन का आयु-वार ब्यौरा				
		संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	एक वर्ष से कम	1-3 साल	3-5 साल	5-10 साल	10 वर्ष से अधिक
1	उच्चतम न्यायालय	310	160.93	29	176.19	339	337	156	180	3	0	0
2	उच्च न्यायालय	77	183.56	3445	9294.33	3522	9478	1720	1556	244	2	0
3	जीएसटीएटी/सीईएसटीएटी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	आयुक्त (अपील)	41	118.81	359	581.27	400	700	304	96	0	0	0
5	अपर आयुक्त/ संयुक्तआयुक्त(अपील)	1030	416.16	3490	2544.48	4520	2961	3875	645	0	0	0
	कुल	1458	879	7323	12596	8781	13476	6055	2477	247	2	0

समग्र (सी.शुल्क उत्पाद + सेवा कर + सीमा शुल्क + जीएसटी)

क्र.सं.	फोरम	विभागीय अपील		पार्टी अपील		कुल		लंबन का आयु-वार ब्यौरा				
		संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	एक वर्ष से कम	1-3 साल	3-5 साल	5-10 साल	10 वर्ष से अधिक
1	उच्चतम न्यायालय	2070	31315.49	1189	14755.30	3259	46070.79	821	872	545	701	320
2	उच्च न्यायालय	5970	26934.21	14172	65800.68	20142	92734.89	8103	5281	2570	2363	1825
3	सीईएसटीएटी	8206	36853.01	49753	179616.74	57959	216469.75	16621	15938	11562	12146	1692
4	आयुक्त (अपील)	2125	1428.54	25449	7467.02	27574	8895.56	19986	5247	1573	586	182
5	अपर आयुक्त/ संयुक्तआयुक्त(अपील)	1030	416.16	3490	2544.48	4520	2960.64	3875	645	0	0	0
	कुल	19401	96947.41	94053	270184.22	113454	367131.63	49406	27983	16250	15796	4019

अनुबंध ग

(करोड़रुपये में)

क्र. सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वित्त वर्ष 2017-18 के लिएजारी जीएसटी क्षतिपूर्ति	वित्त वर्ष 2018-19 के लिएजारी जीएसटी क्षतिपूर्ति	वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जारी जीएसटी क्षतिपूर्ति	वित्त वर्ष 2020-21 के लिएजारी जीएसटी क्षतिपूर्ति	वित्त वर्ष 2021-22 के लिएजारी जीएसटी क्षतिपूर्ति	वित्त वर्ष 2022-23 के लिएजारी जीएसटी क्षतिपूर्ति	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	आंध्र प्रदेश	619	0	3028	5220	2536	1345	12749
2	अरुणाचल प्रदेश	15	0	0	6	0	0	21
3	असम	980	454	1306	1875	40	384	5039

4	बिहार	2922	2805	5441	4039	0	91	15298
5	छत्तीसगढ़	1262	2608	4538	2846	657	1277	13188
6	दिल्ली	326	5185	8424	9808	7230	1982	32954
7	गोवा	281	502	1093	1395	1085	325	4681
8	गुजरात	4277	8788	15558	13719	2181	2039	46562
9	हरियाणा	1461	3835	6617	5453	949	998	19314
10	हिमाचल प्रदेश	1059	2084	2619	1623	452	612	8449
11	जम्मू और कश्मीर	1160	1667	3281	1834	0	208	8150
12	झारखंड	1368	1098	2219	2625	933	790	9033
13	कर्नाटक	7670	12465	18628	15500	5707	4841	64810
14	केरल	2102	3532	8111	7063	4121	2344	27273
15	मध्य प्रदेश	2668	3302	6538	5788	1946	1896	22138
16	महाराष्ट्र	3077	8467	18844	35498	13626	2600	82112
17	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0
18	मेघालय	140	66	157	270	0	0	633
19	मिजोरम	0	0	0	11	0	0	11
20	नगालैंड	0	0	0	14	0	0	14
21	ओड़िशा	2348	4241	5332	4243	0	524	16688
22	पुडुचेरी	387	693	1057	586	348	301	3372
23	पंजाब	5109	8985	12187	7826	3481	3393	40981
24	राजस्थान	2989	2570	7085	7625	741	1028	22038
25	सिक्किम	6	0	0	36	0	0	42
26	तमिलनाडु	1018	5363	11423	12739	8169	2621	41334
27	तेलंगाना	0	0	2891	5891	296	542	9621
28	त्रिपुरा	149	172	293	219	0	0	833
29	उत्तर प्रदेश	2432	0	9123	13680	8028	2048	35311
30	उत्तराखंड	1432	2442	3375	2519	1030	761	11559
31	पश्चिम बंगाल	1608	2615	6200	7828	5383	2022	25656
	कुल	48865	83940	165368	177779	68939	34973	579864

अनुबंध घ

31 अगस्त, 2022 (क) तक कुल बकाया												
												(राशि करोड़ में)
			1 वर्ष या उससे कम		1 वर्ष से अधिक लेकिन 2 वर्ष से कम		2 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम		5 वर्ष से अधिक लेकिन 10 वर्ष से कम		10 साल से अधिक	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
कुल	57497	17576.9577	29045	12185.3	10026	2249.14	9154	1543.14	5551	1228.82	3721	370.514

❖ संग्रहणीय बकाया सभी वाद से मुक्त हैं, यूनिट बंद और बट्टे खाते मामले

31 अगस्त, 2022(ख) के अनुसार बकाए एकत्रित करना कठिन												
												(राशि करोड़ में)
			1 वर्ष या उससे कम		1 वर्ष से अधिक लेकिन 2 वर्ष से कम		2 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम		5 वर्ष से अधिक लेकिन 10 वर्ष से कम		10 साल से अधिक	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
कुल	139857	294886.155	52571	101467	12592	45014.5	23288	70254.7	26697	63751.8	24709	14398.7

भाग दो

टिप्पणियां/सिफारिशें

अनुदान संख्या 36- प्रत्यक्ष कर में व्यय प्रवृत्ति का विश्लेषण

समिति के प्रत्यक्ष करों से संबंधित अनुदान संख्या 36 के विश्लेषण से विभिन्न चरणों अर्थात् बजट अनुमान (ब.अ.), संशोधित अनुमान (सं.अ.) और वास्तविक व्यय में कुछ अंतर प्रकट होते हैं। जबकि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, संशोधित अनुमान का 96.22% उपयोग किया गया था, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान वास्तविक व्यय घटकर 90.49% रह गया। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए, 31 दिसंबर, 2022 तक किया गया व्यय, 9431.15 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान, (जिसे 9308.80 से बढाकर संशोधित किया गया था) का केवल 65.78% है जिसका अर्थ है कि शेष बजटीय राशि केवल शेष 3 महीनों में व्यय करनी होगी। इस प्रकार से, समिति मंत्रालय से अपेक्षा करती है कि वह अधिक वित्तीय अनुशासन दिखाए।

2. अनुदान सं. 37 (अप्रत्यक्ष कर) के लिए मांग- बजटीय आबंटन और उपयोग

समिति अप्रत्यक्ष करों के संबंध में, मंत्रालय के समान व्यय रुझान को भी नोट करती है। वित्त वर्ष 2020-21 में संशोधित अनुमान का 97.39 प्रतिशत उपयोग किया गया, जबकि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय घटकर संशोधित अनुमान का 76.85 प्रतिशत रह गया और केवल 2022-23 में दिसंबर, 2022 तक बजटीय निधि का केवल 67.11 प्रतिशत ही उपयोग किया गया है, जिसका अर्थ है कि आवंटित निधि का लगभग 33 प्रतिशत अंतिम तिमाही में उपयोग करना होगा और यदि राशि अप्रयुक्त रह जाती है तो एक बड़ी राशि को 'अभ्यर्पित' करना होगा। जहां तक 'अभ्यर्पित' राशि का संबंध है, वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 762.11 करोड़ रुपये अभ्यर्पित की गई राशि के रूप में दिखाए गए हैं और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 17152.89 करोड़ रुपये को 'अभ्यर्पित' घोषित किया गया है। अतः, समिति मंत्रालय से उनकी निधि उपयोग पद्धति की गहन निगरानी करने का आग्रह करती है ताकि वास्तविक व्यय वर्तमान में बजटीय आवंटनों के निचले हिस्से पर न आए।

3. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)

समिति चिंता के साथ यह नोट करती है कि जीएसटी में लेखा परीक्षा के संबंध में, लेखा परीक्षा करने के लिए करदाताओं से बड़ी संख्या में दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। इसके अलावा करदाताओं की वास्तविक रूप से उपस्थिति के लिए जीएसटी कार्यालयों में भी बुलाया जा रहा है, जिसमें न केवल करदाताओं बल्कि विभाग के अधिकारियों का भी काफी समय लगता है। अतः समिति, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) को जीएसटी में ऑनलाइन ऑडिट के लिए एक तंत्र विकसित करने की व्यवहार्यता पर गौर करने की सिफारिश करती है, जो प्रक्रिया को अधिक दक्ष और कम हस्तक्षेपकारी बना सकता है। इस संबंध में, समिति राजस्व विभाग से उन दस्तावेजों की एक श्वेत सूची तैयार करने का आग्रह करती है जो एक लेखापरीक्षा करने के लिए, अनिवार्य रूप से अपेक्षित होंगे और इस प्रकार अधिकारियों के साथ-साथ करदाताओं के लिए एक मार्गदर्शन नोट बन जाएगा।

4. टीडीएस/टीसीएस का दायरा बढ़ाना

स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस)/स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस), अग्रिम कर और अनुमानित कर मिलकर कर राजस्व का लगभग 90% हिस्सा होते है और ये गैर-हस्तक्षेपकारी, गैर-प्रतिकूल, प्रणाली आधारित तरीके हैं । ये प्रत्यक्ष कर संग्रह के लिए दक्ष साधन हैं, ऑडिट ट्रेल को पीछे छोड़ते हैं और किसी भी प्रकार की कर चोरी को रोकते हैं। समिति नोट करती है कि स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) और स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) के दायरे को बढ़ाने के , कई नए लेनदेन को इसके दायरे में लाया गया, जिसमें भारी नकदी निकासी, विदेशी प्रेषण, लक्जरी कार की खरीद, ई-कॉमर्स प्रतिभागी, माल की बिक्री, अचल संपत्ति का अधिग्रहण, आभासी डिजिटल संपत्ति आदि शामिल हैं। समिति आगे नोट करती है कि वित्त विधेयक, 2023 में ऑनलाइन गेम से जीतने पर और निवासी को भुगतान किए गए सूचीबद्ध डिबेंचर पर ब्याज पर टीडीएस का प्रावधान करने का प्रस्ताव है। समिति का मानना है कि टीडीएस/टीसीएस पद्धति पिछले कुछ वर्षों में न केवल कुशल और राजस्व बढ़ाने वाली सिद्ध हुई है, बल्कि अपनी प्रकृति में हस्तक्षेप नहीं करने वाली, विवेकाधिकार को कम करने वाली और बेहतर कर अनुपालन को बढ़ावा भी देने वाली सिद्ध हुई है। मंत्रालय द्वारा अब तक की गई पहलों की सराहना करते हुए समिति सिफारिश करती है कि टीडीएस/टीसीएस कवरेज को और बढ़ाया जाना चाहिए ताकि बड़ी मात्रा में नकदी से जुड़े अधिक लेन-देन को शामिल किया जा सके।

5. तलाशी, जब्ती और सर्वेक्षण

तलाशी, जब्ती आदि जैसे हस्तक्षेपकारी कार्यों से संभावित उत्पीड़न को ध्यान में रखते हुए, समिति चाहती है कि इन कार्यों को पर्याप्त सावधानी के साथ विवेकपूर्ण तरीके से नियंत्रित किया जाना चाहिए। यह आशा की जाती है कि इन प्रवर्तन कार्यों को करने से पहले उचित सावधानी पूरी तरह से की जाती है, ताकि वैध शिकायतों को दूर किया जा सके और उनसे कर की उचित वसूली सुनिश्चित की जा सके। समिति का मत है कि इरादतन या पुराने कर चोरी करने वालों के विरुद्ध प्रवर्तन कार्रवाई को तेज करते हुए, ईमानदार करदाताओं को विमुख नहीं किया जाना चाहिए।

6. आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया का सरलीकरण

समिति पाती है कि समय बीतने के साथ आयकर रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया में निःसंदेह परिवर्तन हुआ है, लेकिन एक आम करदाता को अभी भी काफी समय लगता है। कोई भी व्यक्ति जिसकी विभिन्न स्रोतों से आय हो जैसे वेतन आय, किराये से आय, व्यावसायिक आय आदि, स्वयं अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर सकते हैं और उन्हें या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट या आयकर रिटर्न दाखिल करने में पर्याप्त ज्ञान और विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्ति की सलाह और सहायता लेनी पड़ती है। इस प्रकार समिति विभाग से इस प्रक्रिया को और भी सरल और अधिक करदाता अनुकूल बनाने की सिफारिश करती है।

7. कर मुकदमेबाजी

समिति नोट करती है कि राजस्व विभाग विभिन्न न्यायाधिकरणों और न्यायालयों में मुकदमेबाजी और अपील में फंसा हुआ है। इसलिए समिति यह सुनिश्चित करना चाहती है कि विभाग यह सुनिश्चित करे कि अपीलें गहन जांच के बाद विवेकपूर्ण ढंग से, न कि नियमित तरीके से, दायर की जाएं। इसके अतिरिक्त, अधिकारियों की एक अधिकार प्राप्त समिति द्वारा उच्चतम स्तर पर सभी लंबित मामलों की गंभीर समीक्षा की जानी चाहिए ताकि मुकदमेबाजी को कम से कम किया जा सके। समिति यह भी चाहती है कि सभी कर बकाया, जहां भी संग्रहणीय हो, मिशन-मोड पर तेजी से वसूल किए जाने चाहिए।

समिति जीएसटी से उत्पन्न विभिन्न विवादास्पद मुद्दों के बारे में भी चिंतित है और इसलिए, जीएसटी से संबंधित विवादों के निपटान के लिए जीएसटी न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) से अपनी पूर्ववर्ती सिफारिश दोहराती है।

नई दिल्ली
15 दिसंबर, 2023
24 फाल्गुन, 1944(शक)

श्री जयंत सिन्हा
सभापति,
वित्त संबंधी स्थायी समिति

अनुबंध-I

वित्त संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की चौदहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश
समिति की बैठक बुधवार, 01 मार्च, 2023 को 1500 बजे से 1630 बजे तक
मुख्य समिति कक्ष, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री जयंत सिन्हा - सभापति

लोक सभा

2. श्री सुभाष चंद्र बहेड़िया
3. डॉ. सुभाष रामराव भामरे
4. श्रीमती सुनीता दुग्गल
5. श्री सुधीर गुप्ता
6. श्री मनोज कोटक
7. श्री हेमंत पाटिल
8. श्री रवि शंकर प्रसाद
9. श्री नामा नागेश्वर राव
10. प्रो. सौगत राय
11. श्री गोपाल चिनैय्या शेट्टी
12. श्री मनीश तिवारी
13. श्री वल्लभनेनी बालाशोरी
14. श्री राजेश वर्मा

राज्य सभा

15. डॉ राधा मोहन दस अग्रवाल
16. श्री पी. चिदम्बरम
17. श्री दामोदर राव दिवाकोंडा
18. श्री सुशील कुमार मोदी
19. डॉ. अमर पटनायक
20. डॉ सी. एम. रमेश
21. श्री जी वी एल नरसिंहा राव

सचिवालय

1. श्री सिद्धार्थ महाजन - संयुक्त सचिव
2. श्री रामकुमार सूर्यनारायणन - निदेशक
3. श्री कुलमोहन सिंह अरोड़ा - अपर निदेशक

साक्षी

आर्थिक कार्य विभाग

1. श्री संजय मल्होत्रा, सचिव (राजस्व)
2. श्री विवेक अग्रवाल, अपर सचिव (राजस्व)
3. श्री मनोज सहाय, एएस एवं एफए
4. श्री विवेक जोहरी, अध्यक्ष (सीबीआईसी)
5. श्री नितिन गुप्ता, अध्यक्ष (सीबीडीटी)
6. श्री सुभाश्री अनंतकृष्णन, सदस्य (ए एवं जे), सीबीडीटी
7. सुश्री प्रज्ञा सहाय सक्सेना, सदस्य (एल एवं एस), सीबीडीटी
8. सुश्री संगीता सिंह, सदस्य (आईटी एवं आर तथा टीपीएस), सीबीडीटी
9. सुश्री अनुजा सारंगी, सदस्य (प्रशासन एवं फेसलेस योजना), सीबीडीटी
10. श्री शशांक प्रिय, सदस्य (जी एस टी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर एवं विधि)
11. श्री राजीव तलवार, सदस्य (सीमा शुल्क)
12. सुश्री पूनम खैरा सिधु, प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रशासन एवं टीपीएस), सीबीडीटी
13. श्री ऋत्विक पाण्डेय, संयुक्त सचिव (राजस्व)
14. सुश्री लिमातुला यादेन, संयुक्त सचिव (टीआरयू), सीबीआईसी
15. श्री संजय मंगल, प्रधान आयुक्त (जीएसटी)
16. श्री कमलेश चन्द्र वार्ष्णेय, संयुक्त सचिव (टीपीएल -I), सीबीडीटी
17. श्री रमन चोपड़ा, संयुक्त सचिव (टीपीएल-II)
18. सुश्री नीतिका बंसल, एडीजी (व्यय बजट), सीबीडीटी

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों और साक्षियों का स्वागत किया। साक्षियों के प्रथागत परिचय के पश्चात राजस्व विभाग के सचिव ने समिति को वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अनुदान मांगों (2023-24) से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी। जिन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई, उनमें, *अन्य बातों के साथ-साथ,* प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, जीएसटी संग्रह, राज्यों को जीएसटी प्रतिकर और उपकर प्रदान करने की समय सीमा को बढ़ाना, जीएसटी में लेखा परीक्षा, जीएसटी में

अपीलीय न्यायाधिकरण, जीएसटी परिषद, इनपुट टैक्स क्रेडिट, निगम कर और आयकर में बजट अनुमान और संशोधित अनुमान के मध्य अंतर, बेंगलुरु में केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) का कामकाज, आयकर (आईटी) रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया का सरलीकरण, इनवर्टेड शुल्क संरचना, आयकर में डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र की शुरुआत के साथ करदाताओं पर समग्र प्रभाव, निजी डिजिटल परिसंपत्तियों पर कर; तलाशी, सर्वेक्षण और जब्ती, फेसलेस योजनाओं की प्रभावकारिता, नई कर व्यवस्था और न्यायालयों में लंबित कर विवाद आदि शामिल है।।

3. साक्षियों ने सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर दिए और सभापति ने वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के प्रतिनिधियों को सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों, जिनके उत्तर चर्चा के दौरान तत्काल नहीं दिए जा सके, उनके उत्तर 6 मार्च से पहले सचिवालय को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया ।

तत्पश्चात साक्षी साक्ष्य देकर चले गए।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

कार्यवाही का शब्दश: रिकार्ड रखा गया।

अनुबंध - II

वित्त संबंधी स्थायी समिति (2022-23)की पंद्रहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश
समिति की बैठक बुधवार, 15 मार्च, 2023 को 1500 बजे से 1720 बजे तक समिति कक्ष 'सी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री जयंत सिन्हा - सभापति

लोक सभा

2. श्री एस. एस. अहलुवालिया
3. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
4. डॉ. सुभाष रामराव भामरे
5. श्रीमती सुनीता दुग्गल
6. श्री गौरव गोगोई
7. श्री सुधीर गुप्ता
8. श्री मनोज कोटक
9. श्री पिनाकी मिश्रा
10. श्री हेमंत पाटिल
11. श्री रवि शंकर प्रसाद
12. प्रो .सौगात राय
13. श्री गोपाल शेट्टी
14. डॉ. (प्रो) कीरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
15. श्री मनीश तिवारी
16. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी
17. श्री राजेश वर्मा

राज्य सभा

18. श्री सुशील कुमार मोदी
19. डॉ .अमर पटनायक
20. श्री जी .वी .एल .नरसिंहा राव
21. श्री प्रमोद तिवारी

सचिवालय

1. श्री सिद्धार्थ महाजन - संयुक्त सचिव
2. श्री रामकुमार सूर्यनारायणन - निदेशक
3. श्री कुलमोहन सिंह अरोड़ा - अपर निदेशक

भाग-एक

2. XX XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX XX.

(तत्पश्चात साक्षी सक्ष्य देकर चले गए।)

3. सर्वप्रथम सभापति ने, समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात्, समिति ने निम्नलिखित प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार करने और उन्हें स्वीकार करने हेतु लिया।

(i) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, व्यय, वित्तीय सेवाएं, सार्वजनिक उद्यम और निवेश तथा सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2023-24) पर चौवनवां प्रतिवेदन।

(ii) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अनुदानों की मांगों (2023-24) पर पचपनवां प्रतिवेदन।

(iii) कार्पोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) पर छप्पनवां प्रतिवेदन।

(iv) योजना मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) पर सतावनवां प्रतिवेदन।

(v) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) पर अठावनवां प्रतिवेदन।

कुछ विचार-विमर्श के बाद, समिति ने अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी प्रारूप प्रतिवेदनों पर स्वीकार किया और उन्हें अंतिम रूप देने और प्रतिवेदनों को सभा में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

कार्यवाही का शब्दशः रिकॉर्ड रखा गया।